

दिनांक 19.12.2025 को दोपहर 11:00 बजे बैठक हाल, प्रथम तल, जिला विकास भवन, रोहतक में श्री रामअवतार वाल्मिकी, महापौर, नगर निगम रोहतक की अध्यक्षता में नगर निगम, रोहतक की सामान्य बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

1. श्री अक्षय कुमार, सदस्य वार्ड नं0 01, नगर निगम, रोहतक।
2. श्रीमती आशा लता, सदस्य वार्ड नं0 02, नगर निगम, रोहतक।
3. श्रीमती ज्योति, सदस्य वार्ड नं0 03, नगर निगम, रोहतक।
4. श्रीमती रिन्कु, सदस्य वार्ड नं0-04, नगर निगम, रोहतक।
5. श्री सुरेश चन्द्र, सदस्य वार्ड नं0 05, नगर निगम, रोहतक।
6. श्रीमती नीरा भटनागर, सदस्य वार्ड नं0 06, नगर निगम, रोहतक।
7. श्री कपिल नागपाल, सदस्य वार्ड नं0-07, नगर निगम, रोहतक।
8. श्रीमती अंजु सैनी, सदस्य वार्ड नं0-08, नगर निगम, रोहतक।
9. श्री बिजेन्द्र सिंह, सदस्य वार्ड नं0-09, नगर निगम, रोहतक।
10. श्रीमती मनीषा, सदस्य वार्ड नं0 10, नगर निगम, रोहतक।
11. श्री परीक्षित देशवाल, सदस्य वार्ड नं0-11, नगर निगम, रोहतक।
12. श्री सुशील, सदस्य वार्ड नं0-12, नगर निगम, रोहतक।
13. श्रीमती कृष्णा, सदस्य वार्ड नं0-13, नगर निगम, रोहतक।
14. श्रीमति कंचन खुराना, सदस्य वार्ड नं0-14, नगर निगम, रोहतक।
15. श्रीमती अनीता, सदस्य वार्ड नं0-15, नगर निगम, रोहतक।
16. श्रीमती मुक्ता, सदस्य वार्ड नं0-16, नगर निगम, रोहतक।
17. श्रीमती बेबी रानी, सदस्य वार्ड नं0-18, नगर निगम, रोहतक।
18. श्री विजय कुमार गोयल, सदस्य वार्ड नं0-19, नगर निगम, रोहतक।
19. श्री प्रवीन कौशिक, सदस्य वार्ड नं0-20, नगर निगम, रोहतक।
20. श्री बिजेन्द्र सिंह, सदस्य वार्ड नं0-21, नगर निगम, रोहतक।
21. श्रीमती सुमन, सदस्य वार्ड नं0-22, नगर निगम, रोहतक।
22. श्री रमेश बोहर, मनोनीत सदस्य, नगर निगम, रोहतक।
23. श्री अशोक कुमार वर्मा, मनोनीत सदस्य, नगर निगम, रोहतक।
24. श्रीमती अनीता गर्ग, मनोनीत सदस्य, नगर निगम, रोहतक।

  
**Ramavtar Valmiki**  
**Mayor, Rohtak**

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यो तथा अधिकारियों का स्वागत किया तथा सभी सदस्यो व अधिकारियो द्वारा राष्ट्रीय गीत गाया गया। बैठक आरंभ करते हुए पिछली सदन की बैठक से वर्तमान बैठक तक दिवंगत हुई आत्माओ की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। बैठक के आरंभ में आयुक्त महोदय द्वारा सदन को पिछली बैठक के पश्चात् किये गये निम्नलिखित मुख्य कार्यों बारे अवगत करवाया गया:-

- घर-घर से कूड़ा उठान का कार्य आरंभ किया जा चुका है जिससे आमजन को काफी राहत मिली है।
- नगर निगम, रोहतक द्वारा कूड़े के निष्पादन का कार्य आरंभ किया जा चुका है जिससे कूड़े के पहाड़ नहीं बनेंगे तथा आस पास के क्षेत्र में गंदगी नहीं फैलेगी।
- नगर निगम, रोहतक का रोड स्वीपिंग का कार्य माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है जो कि लगभग 10 जनवरी 2026 तक आरंभ हो जायेगा। जिससे रोहतक शहर की सफाई व्यवस्था में काफी सुधार होगा।
- मंगलसेन भवन निर्माण की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से प्राप्त हो चुकी है।
- स्ट्रीम वाटर ड्रेन व बोहर आडिटोरियम बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है।
- 01 जनवरी 2026 से नगर निगम, रोहतक क्षेत्र में स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी। जिसमें प्रत्येक माह आयुक्त महोदय स्वयं टीम के साथ वार्डों का दौरा करेंगे, उस दौरान सबसे स्वच्छ वार्ड को ट्राफी देकर सम्मानित किया जायेगा तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वच्छता प्रहरीयों को जाकेट इत्यादि देकर सम्मानित किया जायेगा।
- नगर निगम, रोहतक के अंतर्गत आने वाले सैक्टरों के सड़क निर्माण कार्यों का टैण्डर जारी किया जा चुका है तथा सर्दी के मौसम के पश्चात् कार्य आरंभ करवाया जायेगा।

तत्पश्चात सदन की बैठक में निम्नानुसार बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया:-  
कार्यालय एजेन्डा:-

क्रम संख्या	कार्यालय एजेन्डा	निर्णय
1.	तकनीकी शाखा, नगर निगम, रोहतक के अनुरोध पर डॉंग सैल्टर बनाने के लिए पहरावर गाँव में गउशाला के साथ लगती 10 एकड़ जमीन खाली है। अतः पहरावर गाँव में गउशाला के साथ लगती 10 एकड़ जमीन में से 01 एकड़ जमीन पर डॉंग सैल्टर बनाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
2.	माननीय उपायुक्त रोहतक के कार्यालय से पत्र क्रमांक 1577/एल.एफ. दिनांक 21.05.2025 के द्वारा, श्रीमति मनीषा बोहर निगम पार्षद वार्ड नं० 10 एवं श्री रमेश बोहर, मनोनीत सदस्य, नगर निगम, रोहतक के द्वारा पत्र दिनांक 15.04.2025 के माध्यम व समस्त प्रजापत समाज के द्वारा आयुक्त, नगर निगम, रोहतक के सम्मुख लिखित में प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.2025 के द्वारा प्रजापत समाज को धर्मशाला बनाने के लिए	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)

	<p>जमीन देने बारे अनुरोध किया गया है। जिस बारे अवगत करवाया जाता है कि किला नं0 142//24/2 मैन सोनीपत रोड़ पर स्थित है, जिसकी मलकियत राजस्व रिकार्ड अनुसार नगर निगम, रोहतक के नाम दर्ज है, दक्ष प्रजापत समाज को धर्मशाला के लिए उक्त भूमि में से लगभग 800 वर्गगज भूमि दी जा सकती है। उक्त भूमि बारे नगर निगम अधिकारी/कर्मचारी व दक्ष प्रजापत समाज के व्यक्तियों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया था, जिसको सभी ने उचित माना। अतः चिन्हित की गई भूमि में से दक्ष प्रजापत समाज को धर्मशाला के लिए लगभग 800 वर्गगज भूमि दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।</p>																					
3.	<p>श्री बिजेन्द्र सिंह, निगम पार्षद वार्ड नं0 21 से पत्र प्राप्त हुआ है। अतः कन्हेली रोड़ डबल फाटक से पहले बुस्टर के पास पब्लिक टॉयलेट बनाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।</p>	<p>सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p>																				
4.	<p>रिहायशी श्रेणी के 04 भू-स्वामियों प्रोपर्टी क्रमांक 12,13,14 व 22, 45 व 55 द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अनुरोध किया गया है कि हमारी भूमि भी वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थित है व हमारी भूमि पर भी वाणिज्यिक गतिविधि की जा रही है व हमारे पास वाणिज्यिक गतिविधि के दस्तावेज है। अतः हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारी भूमि को वाणिज्यिक श्रेणी में शामिल करके सरकार द्वारा निर्धारित वाणिज्यिक भूमि का मुआवजा दिया जाए। प्रोपर्टी क्रमांक 12,13,14 व 22, 45 तथा 55 का विवरण निम्न प्रकार से है:-</p> <table border="1" data-bbox="309 911 1413 1294"> <thead> <tr> <th>क्रमांक</th> <th>प्रोपर्टी क्रमांक</th> <th>भू-स्वामी का नाम</th> <th>सड़क निर्माण के हेतु लिये जाने वाला रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>12,13,14</td> <td>कुनाल, बलराज, चित्रा, नेहा, रेणु, संतोष</td> <td>520.55 वर्गगज (प्रस्तावित 100 वर्गगज)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>22</td> <td>श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री संपत राम</td> <td>15.06 वर्गगज</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>45</td> <td>श्री नरेन्द्र संपडा पुत्र श्री रामजी दास</td> <td>54.36 वर्गगज</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>55</td> <td>श्री जितेन्द्र पुत्र श्री सुभाष चन्द्र</td> <td>48.81 वर्गगज</td> </tr> </tbody> </table> <p>अतः उपमण्डल अधिकारी (ना0) रोहतक की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रोपर्टी क्रमांक (12, 13, 14 एक यूनिट), 22, 45 व 55 को भी वाणिज्यिक श्रेणी में शामिल करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।</p>	क्रमांक	प्रोपर्टी क्रमांक	भू-स्वामी का नाम	सड़क निर्माण के हेतु लिये जाने वाला रकबा	1.	12,13,14	कुनाल, बलराज, चित्रा, नेहा, रेणु, संतोष	520.55 वर्गगज (प्रस्तावित 100 वर्गगज)	2.	22	श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री संपत राम	15.06 वर्गगज	3.	45	श्री नरेन्द्र संपडा पुत्र श्री रामजी दास	54.36 वर्गगज	4.	55	श्री जितेन्द्र पुत्र श्री सुभाष चन्द्र	48.81 वर्गगज	<p>सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)</p>
क्रमांक	प्रोपर्टी क्रमांक	भू-स्वामी का नाम	सड़क निर्माण के हेतु लिये जाने वाला रकबा																			
1.	12,13,14	कुनाल, बलराज, चित्रा, नेहा, रेणु, संतोष	520.55 वर्गगज (प्रस्तावित 100 वर्गगज)																			
2.	22	श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री संपत राम	15.06 वर्गगज																			
3.	45	श्री नरेन्द्र संपडा पुत्र श्री रामजी दास	54.36 वर्गगज																			
4.	55	श्री जितेन्द्र पुत्र श्री सुभाष चन्द्र	48.81 वर्गगज																			

5.	<p>एडवोकेट सतबीर सिंह पुत्र श्री सूरजमल निवासी मकान नं० 1383 सैक्टर-3 रोहतक मौजा पाडा जमाबंदी खेवट नं० 954 साल 2020-2021 किला नं० 53//20 में रकबा 3940 वर्गगज का मालिक है, अपनी इस भूमि में से एडवोकेट सतबीर सिंह पुत्र श्री सूरजमल लगभग 1300 वर्गगज भूमि गलियों के लिए नगर निगम के नाम हिबानामा (गिप्ट डीड) करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी श्री सतबीर सिंह पुत्र सूरजमल के अनुरोध पर खेवट नं० 954 मौजा पाडा किला नं० 53//20 में से सतबीर सिंह के रकबे 3940 वर्गगज में से लगभग 1300 वर्गगज भूमि गलियों के लिए नगर निगम के नाम हिबानामा (गिप्ट डीड) करवाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।</p>	<p>सदन द्वारा सर्वसम्मति से अस्वीकृत किया गया।</p>
6.	<p>नगर निगम आबादी देह/लाल डोरा के अन्तर्गत आने वाली संपत्तियों के कब्जा धारकों का संपत्ति प्रमाण पत्र शहरी स्थानीय निकाय विभाग के द्वारा दिनांक 12.03.2024 का बनाई नीति के अनुसार जारी करने के संबंध में। उपरोक्त विषय पर शहरी स्थानीय विभाग के द्वारा Memo No. DULB/DMC-HQ/2024/142 दिनांक 12.03.2024 तथा पत्र क्रमांक DULB/CTP-II/2024/34 की अनुपालना में नगर निगम, रोहतक के अंतर्गत लाल डोरा/आबादी देह क्षेत्रों में स्थित सभी कब्जाधारियों को सरकार की नीति के अनुसार संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बारे प्रस्ताव सदन की सेवा में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। नगर निगम, रोहतक के लाल डोरा/आबादी क्षेत्र में 22,000 से अधिक संपत्तियां स्थित है। जिन्हें सरकार की नीति के अनुसार स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।</p>	<p>सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्रवाई उपनिगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक द्वारा की</p>
7.	<p>सुभाष चौक से बजरंग भवन फाटक तथा अशोका चौक से लेबर चौक तक नौ पार्किंग जोन घोषित करने बारे। माननीय पुलिस अधीक्षक, नगर निगम, रोहतक का पत्र क्रमांक 3566-P दिनांक 03.11.2025 प्राप्त हुआ है जिसमें श्री सुनील कुमार, पार्किंग ठेकेदार द्वारा सुभाष चौक से बजरंग भवन फाटक तथा अशोका चौक से लेबर चौक तक नौ-पार्किंग जोन घोषित करने बारे अनुरोध किया गया है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार यह मामला नगर निगम रोहतक से संबंधित पाया गया है। इसलिए नौ-पार्किंग जोन घोषित करने बारे प्रस्ताव सदन की सेवा में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।</p>	<p>सदन द्वारा सर्वसम्मति से अस्वीकृत किया गया।</p>
8.	<p>गुरुद्वारा बंगला साहिब व गुरुद्वारा मंजी साहिब रोहतक का साइन बोर्ड (लाखन माजरा) लगवाने हेतु माननीय उपायुक्त महोदय रोहतक के कार्यालय पत्र क्रमांक , 1839-40/एल. एफ. दिनांक 12.08.2025 अनुसार प्रार्थी श्री निर्मल सिंह व समस्त साधसंगत ने अनुरोध किया है कि गुरुद्वारा बंगला साहिब व गुरुद्वारा मंजी साहिब रोहतक का साइन बोर्ड लगवा (लाखन माजरा)या जाए।</p>	<p>सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p>
9.	<p>रोहतक में जींद रोड का नाम शहीद गुरु तेग बहादुर रोड रखा जाए या जींद बाइपास, माता दरवाजा चौक (दोनों में से एक चौक) का नाम शहीद गुरु तेग बहादुर चौक रखा जाए। श्री निर्मल सिंह ने निवेदन किया है कि शहीद गुरु तेग बहादुर जी के 350 साल शहादत के उपलक्ष में रोहतक में जींद रोड का नाम शहीद गुरु तेग बहादुर रोड रखने बारे प्रस्ताव सदन सम्मुख प्रस्तुत है।</p>	<p>सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि माता दरवाजा से जीन्द रोड़ का नाम शहीद गुरु तेग बहादुर रोड़ रखा जाये। (कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)</p>

10.	<p>पार्क (पुरानी जेल), रोहतक का नामकरण महान स्वतंत्रता सेनानी एवं संविधान निर्माण सभा के सदस्य पंडित श्री राम शर्मा जी के नाम से नामकरण करने बारे।</p> <p>सम्पदा अधिकारी, HSVP, रोहतक के पत्र क्रमांक - 381889 दिनांक 04/12/2025 के अनुसार डॉ० अशोक दीक्षित, अध्यक्ष, पं० श्रीराम शर्मा एजुकेशन सोसाइटी एवं पं० श्रीराम शर्मा विचार मंच द्वारा हुड्डा सिटी पार्क का नामकरण पं० श्रीराम शर्मा के नाम पर रखने का अनुरोध किया गया है। सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।</p>	<p>सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)</p>
11.	<p>नगर निगम रोहतक की सीमा के अंतर्गत डॉ० अंबेडकर चौक से लेकर तिलियार झील तक Elevated Road बनाई जाए। जिससे अंबेडकर चौक अशोका चौक, सोनीपत स्टैन्ड, मेडिकल मोड, बापू पार्क, पावर हाउस चौक, MDU गेट तक लगने वाले ट्रेफिक जाम से निजात मिले तथा अशोका चौक, मेडिकल मोड, बापू पार्क पर Elevated Road से connected पार्किंग के साथ लिफ्ट आमजन के लिए बनाई जाए।</p>	<p>सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)</p>
12.	<p>वार्ड संख्या-1 में वर्तमान समय में कोई भी सार्वजनिक पार्क उपलब्ध नहीं है। पार्क के अभाव में वार्ड-1 के बच्चों, बुजुर्गों एवं आम नागरिकों को अनेक प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सार्वजनिक पार्क न होने से वार्ड के निवासियों के स्वास्थ्य एवं सामाजिक जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जनहित को ध्यान में रखते हुए वार्ड-1 में उपयुक्त भूमि चिन्हित कर शीघ्र एक सार्वजनिक पार्क का निर्माण करवाया जाए। प्रस्ताव सदन के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।</p>	<p>सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता व भू-अधिकारी नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)</p>
13.	<p>वार्ड संख्या-2 में नगर निगम प्रशासन से विनम्र अनुरोध है कि हमारी कॉलोनी में एक प्रवेश द्वार (एंट्री गेट) का निर्माण करवाया जाए तथा उक्त प्रवेश द्वार का नाम 'शूर सैनी' के नाम पर रखा जाए, जिससे समाज एवं क्षेत्र के नागरिकों की भावनाओं का सम्मान हो सके। प्रस्ताव सदन के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।</p>	<p>सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि अन्य वार्डों में भी वार्ड सदस्य की अनुसार एक-एक प्रवेश द्वार बनाया जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)</p>
14.	<p>वार्ड संख्या-2 में अधिकांश घरों पर अभी तक मकान नंबर अंकित नहीं हैं, जिसके कारण निवासियों को डाक वितरण, सरकारी कार्यों, आपातकालीन सेवाओं तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः नगर निगम से विनम्र अनुरोध है कि वार्ड के अंतर्गत आने वाले सभी मकानों का सर्वे कर शीघ्र ही उन्हें विधिवत मकान नंबर आवंटित किए जाएँ एवं अंकित करवाए जाएँ।</p>	<p>सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि यह प्रक्रिया अन्य वार्डों में भी अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)</p>
15.	<p>वार्ड संख्या-7 के अंतर्गत आने वाले सैनी धर्मशाला, चमनपुरा साइड रोड तथा सैनी धर्मशाला सैनीपुरा नजदीक सुभाष रोड) के मार्गों पर साइन बोर्ड उपलब्ध नहीं हैं। साइन बोर्ड न होने के कारण आम नागरिकों, आगंतुकों एवं आपातकालीन सेवाओं को मार्ग पहचानने में कठिनाई होती है।</p>	<p>सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि अन्य वार्डों में वार्ड सदस्य की मांग अनुसार संस्थान एवं संस्थाओं के बोर्ड लगवाये जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)</p>

16.	रेलवे रोड स्थित सुनारों वाली गली के सामने लगभग 3 फीट उपलब्ध स्थान पर महाराजा अजमीड जी की प्रतिमा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। उक्त प्रतिमा की स्थापना से क्षेत्र की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा मिलेगा तथा समाज की भावनाओं का सम्मान होगा। उक्त स्थान पर महाराजा अजमीड जी की प्रतिमा स्थापित करने हेतु प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत है।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से अस्वीकृत किया गया।
17.	सिद्ध श्री बाबा मस्तनाथ मठ को जाने वाली सड़क पर स्थित चौक का वर्तमान में कोई नामकरण नहीं है। उक्त चौक का नामकरण 'सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ चौक' किए जाने से क्षेत्र की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पहचान को सुदृढ़ किया जा सकेगा तथा श्रद्धालुओं एवं आम नागरिकों की भावनाओं का सम्मान होगा। प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत है।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)

**वार्ड सदस्यों से प्राप्त एजेन्डे:-**

क्रम संख्या	कार्यालय एजेन्डा	निर्णय
<b>वार्ड नं० 01</b>		
1.	जे पी- कॉलोनी में कच्ची गलियां हैं उनको बनवाया जाए और जेपी- कॉलोनी में जो धर्मशाला है उसको रिपेयर करवाया जाए तथा एक कमरा और टॉयलेट बनवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
2.	एलपीएस से शास्त्री नगर की तरफ जो रास्ता जाता है उसको पक्का करवाया जाए जो सीधा एलपीएस से शास्त्री नगर होते हुए ड्रैन नंबर 8 - पर भी जाता है।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
3.	सूर्य नगर- शास्त्री नगर में जो धर्मशाला है उनका पूरा करवाया जाए जो कि बहुत समय से काम अधूरे हैं।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)

Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

4.	वार्ड नंबर - 1 में 6 कॉलोनियां आती हैं सभी कॉलोनी की कुछ गलियों में रिपेयरिंग की आवश्यकता है और जो बरसाती पानी की जी-टी के फ्रेम और ढक्कन नहीं है, गली ठीक करवाई जाए तथा ढक्कन लगाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
5.	वार्ड नंबर 1 में जो बच्चों का शमशान घाट है उसके चारों तरफ दीवार गेट लगवाया जाए तथा मिट्टी डलवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
6.	सूर्य नगर पार्ट नंबर - 3 की जो गलियां कच्ची है और approved है उनको बनवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
7.	सूर्य नगर से गली नंबर 1, 2 जो गलियां शास्त्री नगर में मिलती है, उनको पक्का करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
8.	शास्त्री नगर में सीवर की मुख्य लाइन है जिस लाइन से सीवर का पानी जींद पुल के नीचे आता है और बार-बार जगह-जगह से सड़क बैठ जाती है तथा इस एरिया में नई सीवर लाइन डलवाई जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)

  
**Ramavtar Valmiki**  
 Mayor, Rohtak

9.	शास्त्री नगर की पेट्रोल पंप वाली में मैन गली बनवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
10.	हमारे वार्ड में जो नई गलियां बन रही है, बनने से पहले उन गलियों में घरों के रैप है, वह तुड़वाए जाए ताकि गली का निर्माण सही से हो सके।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
<b>वार्ड नं0 02</b>		
1.	हमारे वार्ड में पिछले कई वर्षों से सीवरों की सफाई नहीं हुई है जिसमे शिव कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी, बरसी नगर शामिल है।, मोती नगर, रूप नगर, इन्द्र कॉलोनी, संजय कॉलोनी, सैनी आनंदपुरा	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
2.	वार्ड के पार्कों की हालात बेहद खराब है। पार्कों में पेड़ों की छाटाई की जाए व पार्क में लाइटों का विशेष प्रबंध किया जाए। इसके साथ - साथ इंद्रा कॉलोनी में मौजूद पार्क में सभी झूले टूटे हुए है, उन्हें बदलकर नया लगवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
3.	संजय कॉलोनी व शिव कॉलोनी में कोई पार्क नहीं है फलाई ओवर के नीचे मौजूद PWD की जगह पर पार्क का निर्माण करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
4.	वार्ड में पानी की समस्या अत्यधिक है और गंदा पानी आता है। संजय कॉलोनी और शिव कॉलोनी में कई जगहों पर पानी बिल्कुल नहीं आता है।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का

  
Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak


		नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
5.	रूप नगर की गलियाँ बहुत खराब हालात में है जिनको दोबारा से बनवाया जाए। 6-5	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)
6.	हमारे वार्ड में 100-150 खंभों पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। इन पर जल्द से जल्द लाइटें लगवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)
7.	बरसी नगर के कुछ हिस्से में अभी भी पानी व सीवर की पाइपलाइन नहीं है जिसके कारण गलियों का निर्माण रुक हुआ है। इस कार्य को जल्द करवाया जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
8.	बरसी नगर सुंदरपुर रोड जिसे जलेबी रोड भी कहा जाता है उसका एक हिस्सा टूटा हुआ है, उसे बनवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)
9.	बरसात के दिनों में नेहरू कॉलोनी, शिव कॉलोनी और जींद रोड का एरिया पानी में डूब जाता है जिससे कई तरह कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके समाधान हेतु 17 करोड़ रुपये की लागत से गोउकर्ण डिस्पोजल बनाने का प्रस्ताव पहली मीटिंग में पास हुआ था जिसका निर्माण अभी तक शुरू	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये।

  
Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

	नहीं हुआ है। इसकी शुरुआत कारवाई जाए।	(कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कारवाई की जानी है।)
10.	शिव कॉलोनी में मौजूद धर्मशाला के रख-रखाव के लिए 11 लाख रुपये सांसद श्री दीपेन्द्र हुड्डा, रोहतक के द्वारा घोषित किए गए थे। धर्मशाला का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है इसे शुरू करवाया जाए।	इस बारे में निर्देश दिए गए कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य आरंभ करवाने के लिए नियमानुसार आगामी कारवाई अमल में लाये। (कारवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)
11.	कई स्थानों पर नालियों की हालात बिल्कुल खराब हो चुकी है। उन्हें नया बनवाया जाए या फिर नालियों को बंद कर दिया जाए।	इस बारे में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कारवाई अमल में लाई जाये। (कारवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)
12.	वार्ड हेतु कुर्सियां व पौधों के लिए जाल उपलब्ध करवाए जाए।	इस बारे में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी वार्डों में बैंच/कुर्सी रखवाने हेतु निविदा कार्य करवाया जाये तथा पौधों की सुरक्षा हेतु जाल उपलब्ध करवाये जाये। (कारवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)
<b>वार्ड नं0 03</b>		
1.	वाल्मीकि चौक का सौन्दर्य करण किया जाए और वहाँ दाना डालने के कारण चूहों ने पूरे फर्श को खोखला कर दिया है, उसकी साफ सफ़ाई करवाई जाए।-	इस बारे में निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर फर्श को रिपेयर करवाना सुनिश्चित करें। (कारवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)
2.	वाल्मीकि चौक पर शेड लगाया जाए।	इस बारे में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कारवाई अमल में लाई जाये। (कारवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)

  
 Mayor, ...  
 ...

3.	गढ़ी - मोहल्ले में सोरगर चौपाल व अंबेडकर नगर में रविदास चौपाल, करतारपुरा में साँहसी चौपाल व कारखाने में खटीक चौपाल, ये सभी चौपाल खस्ता हालात में है। इन सभी चौपालों का निरीक्षण कर इन सबका पुनर्निर्माण करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
4.	रामलीला पड़ाव में सीवर लाइन काफी पुरानी हो चुकी है, यहां नई सीवर लाइन डलवाई जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
5.	वार्ड नंबर 3 के सभी एरिया में स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
6.	वार्ड नंबर 3 में सफाई व्यवस्था के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए हमारे वार्ड में सबसे कम कर्मचारी हैं।	इस बारे आयुक्त महोदय ने सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम द्वारा रोड़ स्वीपिंग की निविदा की जा चुकी है तथा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा स्वीपिंग के कार्य की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जिससे निगम क्षेत्र में लगभग 350 कर्मचारी लगेंगे व सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी। इस कार्य को लगभग 10 जनवरी 2026 तक आरंभ कर दिया जायेगा (कार्रवाई मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
7.	पुराना बस स्टैंड कम्युनिटी सेंटर का नाम भगवान वाल्मीकि कम्युनिटी सेंटर है जो कि अब कागजों में नहीं दिखता तो इसका नाम भगवान वाल्मीकि कम्युनिटी सेंटर रखा जाए।	इस बारे अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि इस सामुदायिक केन्द्र का नाम यदि पूर्व में रखा गया तो वहां पर अंकित किया जाये। (कार्रवाई कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता व भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)

  
**Ramavtar Valmiki**  
 Mayor, Rohtak

8.	पुरानी सब्जी मंडी वाल्मीकि चौक मंदिर के सामने कूड़ा-करकट डालते हैं जिससे मंदिर में आने वालों की आस्था पर प्रभाव पड़ता है, इस खाली जगह पर वाल्मीकि कम्युनिटी सेंटर अथवा पार्क बनाया जाए।	इस बारे अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि भूमि की मलकियत की जांच उपरांत सामुदायिक केन्द्र बनाने की कार्यवाही अमल में लाई जाये ताकि निगम की भूमि पर कब्जा न हो सके। (कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
9.	वार्ड नंबर 3 की नंद कॉलोनी, पांडव नगर, गोपालपुरा, पुरानी सब्जी मंडी, वाल्मीकि बस्ती, गढ़ी-मोहल्ला में पानी की कमी पर ध्यान दें।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
10.	रामलीला पड़ाव के बाहर पार्क के रखरखाव व साफ-सफाई का ध्यान दें।	इस बारे अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि मौका निरीक्षण कर पार्क में सफाई सुनिश्चित की जाये। (कार्रवाई कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता व भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
11.	प्रतिदिन नालियों की सफाई की जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय ने सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम द्वारा रोड स्वीपिंग की निविदा की जा चुकी है तथा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा स्वीपिंग के कार्य की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जिससे निगम क्षेत्र में लगभग 350 कर्मचारी लगेंगे व सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी। इस कार्य को लगभग 10 जनवरी 2026 तक आरंभ कर दिया जायेगा (कार्रवाई मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
12.	गढ़ी- मोहल्ला व अंबेडकर नगर की सभी गलियों की नालियां टूटी हुई हैं उन्हें बनवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चेक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
वार्ड नं० 04		
1.	नेहरू कॉलोनी पार्क के पास नगर निगम की जगह है जो बूढ़ी माता के नाम है वहाँ पर एक मंदिर बना, हुआ है और बाकी जगह खाली है, वहाँ एक लाइब्रेरी बनवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर


Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

		निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
2.	नेहरू कॉलोनी 60 फूटा रोड पर 254 गज जगह नगर निगम के नाम से है, वहाँ पर सिनीयर सिटिजन (बुजुर्गों) हेतु बैठक बनाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
3.	नेहरू कॉलोनी बूढ़ी माता के सामने एक हाई मास्क लाइट लगवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
4.	गोउकर्ण पार्क में अंबेडकर भवन के गेट के कोने पर हाईमास्क लाइट लगवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
5.	बाबा बालकनाथ कॉलोनी में बाबा खेड़े वाला पीर पर हाईमास्क लाइट लगवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)

  
 Ramavtar Valmiki  
 Mayor, Rohtak

6.	जींद रोड श्मशान भूमि के गेट का रास्ता पक्का करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
7.	नेहरू कॉलोनी 61 फूट रोड CC का बनवाया जाए जिसका एस्टीमेट पहले भी बना हुआ है।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
8.	जींद रोड पर कबीर कॉलोनी में एक हाईमास्क लाइट लगवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
9.	जींद रोड तालाब पर आधे हिस्से में पार्क का सौन्दर्य करण करवाया जाए। और तालाब के बाहर रोड के साथ साथ दुकानें बनाई जाए ताकि नगर निगम की आय बढ़ सकें।-	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
10.	कायस्थान श्मशान भूमि, जींद रोड में बैठने के लिए एक हॉल व एक पार्क बनवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)

  
**Ramavtar Valmiki**  
 Mayor, Rohtak

11.	शोरा कोठी में धानक चौपाल खस्ता हालात में है। इस चौपाल का पुनर्निर्माण करवाया जाए।	इस बारे में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
12.	वार्ड 4 में 200 स्ट्रीट लाइटों की आवश्यकता है क्योंकि वार्ड में नए खंभे लगाए गए हैं। जिस कारण गलियों में अंधेरा रहता है।	इस बारे में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
13.	वार्ड 4 में गलियाँ कच्ची है जो Unapproved होने के कारण नहीं बनवाई जाती। कृपया करके इनको पक्की बनवाने का समाधान कराया जाए।	इस बारे में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
वार्ड नं० 05		
1.	राजीव नगर पार्ट - 2 की गली पक्की करवाई जाए।   Ramavtar Valmiki Mayor, Rohtak	इस बारे में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)

2.	हनुमान कॉलोनी की सैनी श्मशान घाट वाली रोड (पंडित जी की दुकान तक) पक्की करवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
3.	अंबेडकर स्कूल वाली रोड (पिछले गेट के सामने गली तक) पक्की करवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
4.	पाड़ा मोहल्ला की 05 गलियाँ RCC की पक्की बनवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
5.	अंबेडकर पार्क के पीछे नगर निगम की जमीन की चार – दीवारी करवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
6.	नगर निगम रोहतक की जमीन की चार-दीवारी बारे। जहां नगर निगम का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ सामुदायिक केंद्र बनवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
7.	कबीर पार्क का सौन्दर्यकरण करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर

		निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
8.	अंबेडकर पार्क में झूलें व जिम मशीनें लगवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
9.	हनुमान कॉलोनी में सत्यवान मोर का 350 फुट का रोड बनवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
10.	पाड़ा मोहल्ला की सभी गलियों में पानी व सीवर लाइन ठीक करवाई जाए और मैनहोल की मरम्मत करवाई जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
11.	नानू राम वाले चौक की 2 छोटी गलियों में सीवर लाइन डलवाई जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
12.	गली न० - 4, हनुमान कॉलोनी की गली का समाधान करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा

		feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
13.	पब्लिक हेल्थ द्वारा मैन लाइन के कनेक्शन करवाए जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
14.	राजीव कॉलोनी पार्ट- 2 में स्ट्रीट लाइट व पोल लगवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
15.	वार्ड के अंदर टूटे हुए खंभों को बदला जाए ताकि कोई हादसा न हो और वार्ड के अंदर जितनी भी पुलियाँ टूटी हुई है, उन्हें फिर से बनवाया जाए।	इस बारे सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर पुराने टूटे हुए खम्बो को बदलने हेतु नियमानुसार कार्यवाही जल्द से जल्द करें। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक वार्ड में टूटी पुलियाँ को बनवाने हेतु कार्यवाही जल्द से जल्द करें ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। (कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक व संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
<b>वार्ड नं0 06</b>		
1.	बाजारों एवं झुग्गी/स्लम क्षेत्रों के समीप सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत एवं नवनिर्माण करवाया जाए। Rajender Vohra K	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)

2.	भगत सिंह पार्किंग के फ्लोर पर ओपन लाइब्रेरी की स्थापना करवाई जाए, जिससे क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं आम जनता को लाभ हो।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
3.	ओल्ड पटवार खाना, पाड़ा मोहल्ला क्षेत्र में स्वास्थ्य औषधालय (डिस्पेंसरी) की स्थापना करवाई जाए, जिससे स्थानीय निवासियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों।	इस बारे आयुक्त महोदय ने प्रस्तावना तैयार करके सिविल सर्जन रोहतक को भिजवाने बारे निर्देश दिये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
4.	निचले इलाकों में सीवरेज लाइनों का विस्तार एवं मरम्मत करवाई जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
5.	अनुपयोगी/बंद पड़े बिजली के खंभों एवं जर्जर जंक्शन बॉक्सों को हटाया जाए।	इस बारे सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही जल्द से जल्द करें। (कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
6.	पूरे वार्ड में लटके हुए वाई-फाई/इंटरनेट के तारों का सुव्यवस्थित प्रबंधन कराया जाए।	इस बारे सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक कर इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करें। (संबन्धित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
7.	अंधेरे क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत करवाई जाए एवं नई स्ट्रीट लाइट्स लगवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कार्य तुरंत प्रभाव से करवाया जाये व नई स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य हेतु संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)

  
 Ramavtar Valmiki  
 Mayor, Rohtak

8.	बिजली की तारों के खुले जोड़ों की उचित इंसुलेशन एवं कवरींग करवाई जाए ताकि करंट लगने की घटनाओं से बचाव हो।	इस बारे सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही जल्द से जल्द करें ताकि कोई अप्रिया घटना न हो। (कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
9.	सुरक्षित केबलिंग हेतु बिजली विभाग, बीएसएनएल एवं निजी केबल ऑपर्टों के साथ समन्वय बनाया जाए।	इस बारे सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक इस संदर्भ में नियमानुसार कार्यवाही जल्द से जल्द करें। (कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
10.	संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित पुलिस गश्त करने का अनुरोध।	इस बारे सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करवाने के लिए पुलिस विभाग से पत्राचार किया जाये। (कार्रवाई कार्यालय अधीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)
11.	कम दबाव वाली कॉलोनियों में जल आपूर्ति के दबाव में सुधार करवाया जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
12.	रिसाव वाली पानी की पाइपलाइनों की मरम्मत करवाई जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
13.	बाजार-क्षेत्रों में सार्वजनिक जल/RO ATM की स्थापना (किला रोड, प्रताप चौक, राधे-राधे पार्क के पास, माता दरवाजा क्षेत्र) करवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चेक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)

Ramavtar Valmiki

ak

14.	राधे-राधे पार्क के समीप वर्षा जल-संचयन (Rain Water Harvesting) संरचनाओं का निर्माण करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
15.	स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वाटर बूस्टर्स की नियमित सफाई करवाए जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
16.	स्कूलों एवं व्यस्त चौराहों के पास स्पीड ब्रेकर एवं रंबल स्ट्रिपस लगवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
17.	कृष्णा बाजार, प्रताप बाजार, इंद्रा मार्केट, चमेली मार्केट एवं बड़ा बाजार में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की स्थापना, जहां संकरी सड़कों के कारण फायर ब्रिगेड की सहायता में विलंब होता है।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
18.	पैदल लोगों/यात्रियों की सुविधा हेतु सड़क किनारे अतिक्रमण हटवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आमजन की सुविधा हेतु बाजार क्षेत्र एवं मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान निरंतर चलाया जाये ताकि आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। (कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
19.	स्ट्रीट डॉग नसबंदी एवं एंटी-रेबीज अभियान सुचारु रूप से चलाया जाए।	इस बारे सदर को अवगत करवाया गया कि नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों के Animal Birth Control का कार्य करवाया जा

		रहा है। मुख्य सफाई निरीक्षक को निर्देश दिए कि वार्ड सदस्यों से प्राप्त शिकायतों पर अविलंब कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। (कार्रवाई मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
20.	नगर निगम के समन्वय से आवारा पशुओं (कुत्ते एवं बंदर ) को पकड़ने की कार्यवाही शुरू करवाई जाए।	नगर निगम द्वारा बेसहारा पशुओं को पकड़वाकर निगम की गौशाला में छोड़ा जा रहा है तथा कुत्तों आवारा की नसबंदी एवं एंटी-रेबीज टीकाकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है तथा प्राप्त शिकायतों को समाधान किया जा रहा है। (कार्रवाई मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
21.	पशुओं के प्रवेश को रोकने हेतु पार्कों की फेंसिंग कराई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
22.	आम जनता को संपत्ति कर से संबंधित समस्याओं के समयबद्ध समाधान हेतु संबंधित नगर निगम अधिकारियों सहित एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए।	इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि यह कार्य ऑनलाईन है तथा सरकार द्वारा प्रत्येक सेवा के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। अधिकारियों द्वारा भी समय-समय पर आमजन द्वारा लगाये गये आवेदनो की जांच की जाती है। (कार्रवाई उपनिगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
23.	वार्ड नंबर 6 के विभिन्न मोहल्लों में सड़कों एवं नालियों का निर्माण - पारस मोहल्ला, प्रताप मोहल्ला (मल्ला शाह मोहल्ला), कसाई चौक से मंदिर वाली गली, पंजाबी रामलीला ग्राउन्ड।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चेक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
24.	प्रिस कॉपी हाउस, प्रताप चौक से दुर्गा भवन तक नाला पाइप का निर्माण करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चेक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई

Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

		अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
25.	राधे-राधे पार्क में CCTV लगवाने की व्यवस्था करवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
<b>वार्ड नं० 07</b>		
1.	गोहाना अड्डा, दिल्ली गेट से भगत सिंह पार्किंग तक की सारी सीवर पाइप लाइन बंद रहती है, वहाँ नई पाइप लाइन डाली जाए और सड़क का नवनिर्माण किया जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
2.	गोहाना अड्डा, शहीद लाला लाजपत राय चौक को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आमजन की सुविधा हेतु बाजार क्षेत्र एवं मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान निरंतर चलाया जाये ताकि आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। (कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
3.	किल्ला मोहल्ला की सभी सीवर की पाइप लाइन डैमेज हो चुकी है उन सभी पाइप लाइन की हालत खस्ता हो चुकी है जिनकी वजह से लोगों की घरों में सीलन आ गई है, उनकी मकानों की हालत जर्जर हो चुकी है, वहाँ की सारी पाइप लाइन बदली जाएं।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
4.	मेरे वार्ड में कोई भी सामुदायिक केंद्र या धर्मशाला नहीं है। नगर निगम द्वारा जमीन उपलब्ध करवा कर एक सामुदायिक केंद्र का निर्माण करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक

  
Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

		द्वारा की जानी हैं)
5.	संजय नगर काली माता मंदिर वाली गली, सुनीता और ओमप्रकाश निनानीया वाली गली का नवनिर्माण करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
6.	साईं दास कॉलोनी, सती माता मंदिर और उसके साथ लगती प्रवीण निझावन और सभी साथ लगती गलियों का नवनिर्माण करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
7.	पाड़ा मोहल्ला की पवन अरोड़ा वाली और साथ लगती गलियों का नवनिर्माण करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
8.	तेज कॉलोनी के साथ लगती टैगोर स्कूल वाली गली का नवनिर्माण करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
9.	माता मंदिर चौक के पीछे लगता हिस्सा भाटिया पब्लिक स्कूल के साथ लगती सभी गलियों का नवनिर्माण करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई

  
Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

		अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
10.	तेज कॉलोनी की भिड़ी गली में नाली में नए पाइप डाल कर उस गली का नवनिर्माण करवाया जाए और भाटिया वाली गली का नवनिर्माण करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
11.	गोहाना अड्डा योग आश्रम के ऊपर से नाले को सुखपुरा चौक तक नाले का नवनिर्माण करवाकर उसको नए डिस्पोज़ल से जोड़ा जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
12.	वार्ड में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय ने सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम द्वारा रोड स्वीपिंग की निविदा की जा चुकी है तथा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा स्वीपिंग के कार्य की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जिससे निगम क्षेत्र में लगभग 350 कर्मचारी लगेंगे व सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी। इस कार्य को लगभग 10 जनवरी 2026 तक आरंभ कर दिया जायेगा (कार्रवाई मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
13.	गोहाना अड्डा से सुखपुरा चौक तक दोनों साइड नालों की सफाई करवाई जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय ने सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम द्वारा मुख्य नालो की सफाई कार्य की निविदा की जा रही है जिसके पश्चात नाला सफाई का कार्य करवा दिया जायेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
14.	गोहाना अड्डा से सुभाष रोड, अंबेडकर चौक तक दोनों साइड नालों की सफाई करवाई जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय ने सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम द्वारा मुख्य नालो की सफाई कार्य की निविदा की जा रही है जिसके पश्चात नाला सफाई का कार्य करवा

  
Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

		दिया जायेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
15.	गोहाना अड्डा से राहड़ रोड, प्रेम नगर चौक तक दोनों साइड नालों की सफाई करवाई जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय ने सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम द्वारा मुख्य नालो की सफाई कार्य की निविदा की जा रही है जिसके पश्चात नाला सफाई का कार्य करवा दिया जायेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
16.	गोहाना अड्डा से पालिका बाजार और छोटू राम चौक तक दोनों साइड नालों की सफाई कारवाई जाए	इस बारे आयुक्त महोदय ने सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम द्वारा मुख्य नालो की सफाई कार्य की निविदा की जा रही है जिसके पश्चात नाला सफाई का कार्य करवा दिया जायेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
17.	गोहाना अड्डा, लाला लाजपत राय चौक से योग आश्रम चौक तक दोनों साइड नालों की सफाई करवाई जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय ने सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम द्वारा मुख्य नालो की सफाई कार्य की निविदा की जा रही है जिसके पश्चात नाला सफाई का कार्य करवा दिया जायेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
18.	शांतमई चौक से आउटर किल्ला रोड और गोहाना अड्डा तक दोनों साइड नालों की सफाई करवाई जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय ने सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम द्वारा मुख्य नालो की सफाई कार्य की निविदा की जा रही है जिसके पश्चात नाला सफाई का कार्य करवा दिया जायेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
19.	गोहाना अड्डा से तेज कॉलोनी पाड़ा मोहल्ला के बूस्टर के आगे से होते हुए दोनों साइड नालों की सफाई करवाई जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय ने सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम द्वारा मुख्य नालो की सफाई कार्य की निविदा की जा रही है जिसके पश्चात नाला सफाई का कार्य करवा दिया जायेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
वार्ड नं० 08		

  
 Rajendra Palnishi  
 Mayor, Rohatki

<p>1.</p>	<p><b>महात्मा ज्योतिबा फुले सामुदायिक केंद्र :</b> इस केंद्र में काम करवाने के लिए हाउस की पहली बैठक में ही निम्नलिखित कार्य करवाने के लिए प्रार्थना की गई थी:-</p> <p>i) हॉल के ऊपर 5-6 कमरे बनवाना ।</p> <p>ii) हलवाई के लिए शेड का निर्माण करवाना ।</p> <p>iii) स्टोर रूम का निर्माण करवाना ।</p> <p>iv) बच्चों के लिए children कॉर्नर का निर्माण करवाना ।</p> <p>v) वार्ड निवासियों के लिए exercise instruments ।</p> <p>काफी समय बीत जाने के बाद भी इस सम्बंध में कोई प्रगति नहीं हुई है कृपया उपरोक्त कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाए जाएँ ।</p>	<p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये ।</p> <p>(कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)</p>
<p>2.</p>	<p><b>भगत सिंह पार्क, न्यू राजेन्द्र नगर:</b> न्यू राजेन्द्र नगर, रोहतक स्थित भगत सिंह पार्क की maintenance का काम होना था लेकिन इसे unapproved बता कर इसका estimate पास नहीं किया गया । जबकि इस कालोनी की सड़क व पार्क की मलकियत नगर निगम के नाम होने बारे पत्र की कॉपी निगम कार्यालय में उपलब्ध करवा दी गई थी। इसलिए भगत सिंह पार्क की maintenance एवं गलियों का निर्माण कार्य जल्द करवाया जाए क्योंकि इस एरिया के निवासी पिछले 5-6 साल से परेशानी का सामना कर रहे हैं।</p>	<p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये ।</p> <p>(कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)</p>
<p>3.</p>	<p><b>महावीर पार्क में toilet निर्माण बारे:</b> इस पार्क में पब्लिक library होने के कारण काफी लोगों का आना होता है जिनमे विशेष रूप से लड़कियाँ काफी संख्या में आती हैं। इनकी सुविधा के लिए एक ओर toilet निर्माण के लिए प्रार्थना की गई थी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी कार्य शुरू नहीं हुआ है, इसे जनहित में जल्द बनवाया जाए। इसके साथ ही इसमें Sanitary Pad vending मशीन व एक सफाई कर्मचारी नियमित रूप से यहाँ लगाया जाए।</p>	<p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये ।</p> <p>(कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)</p>
<p>4.</p>	<p><b>सूर्य नगर की समस्या:</b> सूर्या नगर में नई गलियों का काम करवाने के लिए सर्वे के दौरान पाया कि ज्यादातर एरिया नक्शे में unapproved दिखाया हुआ है जबकि इस एरिया की प्रॉपर्टी ID में एरिया approved दिखाया हुआ है। इस एरिया को approved लिस्ट में डाला जाए ताकि जनहित के कार्य हो सकें।</p>	<p>इस बारे सदन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम क्षेत्र में अनाधिकृत क्षेत्र/पैच को नियमानुसार नियमित करवाने के लिए सरकार से पत्राचार किया जाये ।</p> <p>(कार्रवाई सहायक नगर योजनाकार, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)</p>

5.	<p><b>सुखपुरा की main गली का निर्माण करवाने बारे :</b> सुखपुरा की main गली जो दिल्ली रोड को ladhaut रोड से जोड़ती है वह main रोड से काफी नीची होने के कारण इसमें बरसात के दिनों में 2 फुट तक पानी भर जाता है इसलिए इस गली व साथ लगती गलियों को ऊंचा उठा कर main road के लेवल पर बनवाया जाए।</p>	<p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p>
6.	<p><b>गोहाना अड्डा बूस्टर के साथ शनीचरी वाली गली :</b> इस गली का sewer नाले से जुड़ा हुआ है जिस कारण यहाँ आमतौर पर overflow रहता है। इसे main sewer लाइन से जोड़ने बारे पहली हाउस की बैठक के agenda में भी डाला गया था लेकिन अभी तक यह काम नहीं हुआ है जिस कारण इस गली के निवासी काफी परेशान रहते हैं। कृपा sewer कनेक्शन व गली पक्की करने का कार्य जनहित में जल्द करवाया जाए।</p>	<p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p>
7.	<p><b>सैनीपुरा मोहल्ला में पानी व sewer लाइन की समस्या बारे:</b> सैनीपुरा में गली नंबर 8 व 9 को पानी की लाइन से जोड़ने व गली नंबर 7-8 की sewer की लाइन राहड़ रोड से जोड़ने बारे कई बार जन-स्वास्थ्य विभाग को प्रार्थना पत्र भेज चुके हैं लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। ये कार्य जल्द करवाए जाएँ।</p>	<p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p>
8.	<p><b>सीता माता वाली गली राहड़ रोड :</b> इस गली का लेवल काफी नीचा है और आस पास की कई गलियों का पानी इसी गली में आता है जिस कारण गंदा पानी घरों में चला जाता है और यहाँ के निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है गली वासी लगातार इस गली का लेवल ऊंचा करके गली बनवाने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। जनहित में इस समस्या का समाधान किया जाए।</p>	<p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p>
9.	<p><b>वीटा बूथ के लिए स्थान उपलब्ध करवाने बारे :</b> मान अस्पताल, रोहतक के सामने PWD कार्यालय के बाहर फुटपाथ से लगती जगह vita बूथ खोलने के लिए allot की जाए क्योंकि इस एरिया में अस्पताल के साथ ही बड़ी मार्केट भी है और आस पास कालोनी में भी कोई बूथ नहीं है।</p>	<p>सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया व इस बारे अध्यक्ष महोदय द्वारा हुए नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। (कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p>
10.	<p><b>गलियों की मरम्मत के लिए tendor लगाने बारे :</b> वार्ड की काफी गलियां Interlocking tiles</p>	<p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर</p>

	से बनी हैं जो कि ऊंची नीची हैं व कई जगह से उखड़ी हुई हैं। इनकी मुरम्मत के लिए टेन्डर लगाए जाएँ।	निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
<b>वार्ड नं० 09</b>		
1.	सुखपुरा चौक पर बने बूस्टर को चालू करवाया जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
2.	लाढोत रोड पर कई जगह पानी की पाइप लाइन नहीं है वहाँ पाइप लाइन डलवाई जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
3.	वार्ड - 9 में कई जगह पानी की समस्या है कृपया उन कॉलोनियों में यह समस्या दूर करवाई जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
4.	उत्तम विहार, गली न० 1 व ऋषि नगर में सीवर की काफी समस्या है उसका समाधान कराया जाए। वार्ड - 9 की सभी कॉलोनियों की सीवर की समस्या दूर करवाई जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
5.	वार्ड में आवश्यकता अनुसार स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा

  
Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

		feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
6.	विशाल नगर, राजेन्द्र नगर, लाढोत रोड, शांति नगर, बसंत विहार, उत्तम विहार इन सभी कॉलोनियों में काफी गलियाँ कच्ची है उन्हे पक्का करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
7.	वार्ड 9 में जिन कॉलोनी की गलियों के बीच में बिजली के खंभे लगे हुए हैं उन्हे रोड/गली के साइड में शिफ्ट कराया जाए।	इस बारे सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान जल्द से जल्द करें। (कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
8.	जसबीर कॉलोनी, कबीर कॉलोनी, सेक्टर - 3 और 4, पंचवटी, हरकी देवी में पानी व सीवर की समस्या है उसका समाधान कराया जाए और कुछ गलियाँ कच्ची है उन्हे पक्का करवाया जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। इसके अतिरिक्त गलियाँ पक्की करवाने के कार्य हेतु संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक व संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
9.	सेक्टर 2 - पार्ट के पार्क में झूले ठीक कराए जाए व पार्क में बरसाती पानी निकासी नहीं है उसका समाधान कराया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर पार्कों में पानी निकासी के प्रावधान हेतु योजना तैयार करें तथा पार्क में झूलो को जल्द

Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

		से जल्द रिपेयर करवाया जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
10.	सेक्टरों में सीवर लाइन की सफाई कराई जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक को निर्देश दिए गए कि मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
11.	सेक्टरों के पार्क का सौंदर्य करण करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
12.	वार्ड 9 के सभी कॉलोनियों में सफाई कर्मचारी लगाए जाए और पार्श्वों को उनकी लिस्ट दी जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय ने सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम द्वारा रोड स्वीपिंग की निविदा की जा चुकी है तथा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा स्वीपिंग के कार्य की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जिससे निगम क्षेत्र में लगभग 350 कर्मचारी लगेंगे व सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी। इस कार्य को लगभग 10 जनवरी 2026 तक आरंभ कर दिया जायेगा तथा कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करवा दी जायेगी। यहां यह भी बताया जाता है कि पूर्व में मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा वार्ड सदस्यों को वार्ड में कार्य कर रहे कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करवाई गई थी। (कार्रवाई मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
13.	विशाल नगर में पानी की समस्या दूर करवाई जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)

  
Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

14.	लाढोत रोड पर पानी की पाइप लाइन बीच में बंद पड़ी है उसको चालू कराया जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
<b>वार्ड नं0 10</b>		
1.	गाँव बोहर के मेलवान पाने में नगर निगम की लगभग 7 एकड़ भूमि खाली पड़ी है जिसपर अतिक्रमण होने का खतरा है और इस भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा कूड़ा-कचरा फैलाया जा रहा है। अतः इस भूमि पर एक सामुदायिक केंद्र का निर्माण करवाया जाए ताकि गरीब वर्ग को अपने कार्यक्रमों के लिए उचित स्थान प्राप्त हो।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)
<b>वार्ड नं0 11</b>		
1.	बलियणा गाँव में अंबेडकर भवन का निर्माण कराया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)
2.	बलियणा गाँव में नया जोहड़ (कुंडाला) पर गाँव के गंदे पानी की निकासी के लिए पाइप लाइन डलवाई जाए व मैनहोल बनवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)
3.	बलियणा गाँव में ड्रेन के पास Pumping Station बनाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये।

  
 Ramavir Mishra  
 Mayor, Rohtak

		(कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
4.	बलियणा गाँव में वाटर वर्क्स के पास जो जोहड़ है उसकी Returning Wall व घाट बनवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
5.	खेड़ी-साध गाँव में नगर निगम की 2.5 एकड़ जमीन पर शहीद स्क्वाइन लीडर लोकेन्द्र सिंह सिंधु के नाम से पार्क बनवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
6.	माजरा गाँव में अधूरा पड़ा कम्यूनिटी सेंटर का निर्माण पूरा कराया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
7.	फ्रेंड्स कॉलोनी में सिंचाई विभाग के नाले की जमीन खाली पड़ी है। अब वह नाला बंद पड़ा है। उस जमीन को नगर निगम अपने पास लेकर गली को चौड़ा कर निर्माण करवाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
8.	सितारा गार्डन के सामने से जो रोड पहरावर गाँव की तरफ जाता है वह बिल्कुल बुरे हालात में है और टूटा हुआ है। उस रोड का पुनः निर्माण कराया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर

		निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
<b>वार्ड नं0 12</b>		
1.	रेन वाटर पाइप डलवाने है कई जगहों पर खराब है पाइप नहीं है।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
2.	कई पार्कों में मिट्टी डलवानी है व पानी निकासी के लिए पार्क मैन हॉल बनाने के पाइप दबाने है।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
3.	एक बार 12 वार्ड के सभी सीवर साफ करवाने है।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक को निर्देश दिए गए कि मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
4.	पार्कों मे जिम व झूले ठीक करवाने है। जहां पर नहीं है वहाँ पर नए लगवाए जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पार्कों में लगे जिम व झूलो को रिपेयर करवाया जाये तथा संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा नए जिम व झूले लगाने के कार्य हेतु मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई

  
 Ramana Jalmiki  
 Mayor, Rohtak

		जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
5.	सोनीपत नहर से लेकर HDFC बैंक तक मिट्टी की भरत, ग्रिल व बॉउन्ड्री वाल का एस्टिमेट बनवा कर नए सिरे से बनवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
6.	सेक्टर - 01 व सेक्टर - 02 की सभी सड़कों का एस्टिमेट बनवा कर सभी सड़के दोबारा से बनवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
7.	पूरे वार्ड की मार्किट की टाइले व ग्रिल का माडर्न टाइप में सौंदर्यीकरण किया जाए	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
8.	सेक्टर - 01 व सेक्टर - 02 के सामुदायिक भवन का सुधार किया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
9.	सेक्टर - 01 व सेक्टर - 02 की सभी खराब लाईटों की जगह नई लगाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा

  
Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

		feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
10.	सेक्टर - 01 के सामुदायिक भवन का नव निर्माण करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
<b>वार्ड नं0 14</b>		
1.	सुभाष नगर में पिछले 60 वर्षों से वाल्मीकि बस्ती स्थापित है। इस बस्ती में 120 परिवार निवास करते हैं। इसमें अधिकांश गरीब, दलित व वाल्मीकि जाति से संबंधित है। इनके पास राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बिजली, पानी व सीवर के वैध कनेक्शन भी है। सभी के पास पुरानी व नई प्रॉपर्टी से संबंधित असेसमेंट भी है। लेकिन जमीन की मलकीयत न होने के कारण इन परिवारों को केंद्र सरकार व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का लाभ नहीं मिल पाता है। प्रधानमंत्री उदय योजना के अंतर्गत इन सभी परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाए जिससे कि इन सब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना, डॉ० अंबेडकर मकान नवीनीकरण योजना एवं अन्य गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस कार्य हेतु संयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाये जोकि वस्तावेजों की जांच करे ताकि सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को जल्द से जल्द मिल सके। (कार्रवाई संबंधित संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
2.	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा वार्ड नंबर 14 में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। जिसके लिए सड़कों व गलियों में बड़े-बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं। कंपनी के ठेकेदार की लापरवाही से कई जगह पर पानी व सीवर लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। ठेकेदार द्वारा इन Damaged Lines को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है और ना ही गड्ढे ठीक तरह से भरे गए हैं। नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी भी इस संबंध में कोई रुचि नहीं लेते हैं। सदन में प्रस्ताव पारित किया जाए कि ठेकेदार की प्रतिभूति राशि जब्त की जाए व उससे पानी, सीवर व गड्ढों का काम करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक को मौका निरीक्षण कर सम्बन्धित एजेन्सी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
3.	रेलवे एलिवेटेड ट्रैक के साथ बजरंग भवन, दिल्ली रोड से सोनीपत रोड तक निर्माणाधीन सड़क के साथ बरसाती पानी की निकासी की लाइन बिछाई जाए और सड़क निर्माण का रुका हुआ कार्य वापिस शुरू करवा कर पूरा करवाया जाए। बजरंग भवन मंदिर से सोनीपत रोड की पुरानी सड़क का पुनर्निर्माण करवाया जाए व अवैध कब्जे हटाए जाए।	इस बारे अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक को मौका निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाने बारे निर्देश दिये गये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)

4.	रेलवे एलिवेटेड ट्रैक के साथ दिल्ली रोड से साई मंदिर तक बनने वाली प्रस्तावित सड़क के निर्माण करवाने में आने वाली सभी बाधाएं दूर करवाई जाए। जिससे न्यू चिन्योट कॉलोनी, श्रीनगर कॉलोनी, गांधीनगर की जनता को नरकीय हालातों से मुक्ति मिल सके।	इस बारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक को मौका निरीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई करने बारे निर्देश दिये गये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
5.	मॉडल टाउन स्थित डॉ० मंगल सेन स्मृति पार्क ( डबल पार्क ) में फवारा व अन्य आधुनिक सुविधाएं शुरू करवाई जाए।	इस बारे में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
6.	दुर्गा कॉलोनी में सोनीपत रोड से डी एन सिटी स्कूल तक व साथ लगती गलियां जिन हालात में है इनका पुनर्निर्माण करवाया जाए।	इस बारे में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
7.	आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या एक बहुत बड़ी समस्या है। कुत्तों के झुंड लोगों पर हमला कर देते हैं। गंदगी फैलाते हैं व खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आवारा कुत्तों के लिए शहर में शेल्टर होम बनाया जाए।	इस बारे में सदर को अवगत करवाया गया कि नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों के Animal Birth Control का कार्य करवाया जा रहा है। मुख्य सफाई निरीक्षक को निर्देश दिए कि वार्ड सदस्यों से प्राप्त शिकायतों पर अविलंब कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। (कार्रवाई मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
8.	आदर्श नगर स्थित वाटर बूस्टर को PGIMS के वाटर टैंक के साथ जोड़ा जाए।	इस बारे में आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक


  
 Ramavtar Valmiki  
 Mayor, Rohtak

वार्ड नं० 15

1.	जन-स्वास्थ्य विभाग को नगर निगम में शामिल किया जाए।	इस बारे अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत करवाया गया कि यह निर्णय सरकार के स्तर पर लिया जाना है।
2.	वार्ड में बंदरों की विकराल समस्या है, उसका समाधान करें।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम द्वारा बंदर पकड़े के कार्य की निविदा जल्द से जल्द करवाई जाये। (कार्रवाई मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
3.	कुत्तों के आतंक से लोग भयभीत हैं, उसका समाधान हो।	इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों के Animal Birth Control का कार्य करवाया जा रहा है। मुख्य सफाई निरीक्षक को निर्देश दिए कि वार्ड सदस्यों से प्राप्त शिकायतों पर अविलंब कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। (कार्रवाई मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
4.	वार्ड में खाली पड़े प्लॉट्स की सफाई करवाई जाए।	इस बारे मुख्य सफाई निरीक्षक को संबंधित प्लॉट मालिकों को नोटिस जारी करने बारे निर्देश दिए। (कार्रवाई मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
5.	पार्कों के सौंदर्य करण का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। इसे शुरू कराया जाए।	इस बारे संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाने बारे निर्देश दिये गये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
6.	स्पीड ब्रेकर्स का टेंडर किया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
7.	गांधीनगर की मड हट डिस्पेंसरी में डॉक्टर की व्यवस्था की जाए-।	इस बारे अध्यक्ष महोदय ने सिविल सर्जन रोहतक से पत्राचार करने बारे निर्देश दिये।

Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

		(कार्रवाई कार्यालय अधीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
8.	सब्जी मंडी, गांधीनगर में बरसाती पानी निकासी लाइन डाली जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
9.	श्रीनगर कॉलोनी में बरसाती पानी निकासी लाइन डाली जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
10.	पब्लिक पार्क सब्जी मंडी में शौचालय का निर्माण करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
11.	सामुदायिक भवन सब्जी मंडी गांधीनगर का मेटेनेस कार्य करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
12.	शिव शंभू बारात घर, न्यू चिन्योट कॉलोनी को रिनोवेट किया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई

  
 Ramavtar Valmiki  
 Mayor, Rohtak

		अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
13.	संपूर्ण वार्ड नंबर 15 में सीवरों की सफाई रस्सा – बोरी से करवाई जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
14.	वार्ड में यथोचित स्थानों पर नाले, स्लैब और लोहे के जाल से ढके जाएं।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
15.	समाचार पत्र दैनिक ऋषि की आवाज के कार्यालय का साइन बोर्ड लगवाए जाएं।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस बारे नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
16.	वार्ड में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
17.	स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था की जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
18.	समाज कल्याण विभाग का कर्मचारी विनोद फोन रिसीव नहीं करता है।	इस बारे अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित

		कर्मचारी का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये। (जिला समाज कल्याण विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
<b>वार्ड नं० 16</b>		
1.	शिवाजी कॉलोनी गोपाल पार्क के साथ वाली गली बनाई जाए।,	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
2.	काठमण्डी खेल वाली गली बनाई जाए।,	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
3.	टेक नगर, कुम्हारों वाली गली में नई सीवर लाइन डाली जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
4.	राम नगर में विश्वकर्मा वाली गली बनाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
5.	राम नगर चौक में बरसात के समय बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है, स्टॉर्म वाटर की लाइन डालकर इस	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर

  
Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

	समस्या का समाधान किया जाए।	निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
6.	जगदीश कॉलोनी नेहरा पार्क वाली गली बनाई जाए।,	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
7.	जगदीश कॉलोनी, DAV स्कूल के साथ वाली गली बनवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
8.	DLF कॉलोनी में एकता गली बनवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
9.	DLF कॉलोनी, पुरानी नीम वाली गली, वहाँ नई सीवर लाइन डाली जाए और सड़क बनवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
10.	सभी पार्कों का सौन्दर्य करण किया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के

Ramaytar Valmiki  
Mayor, Rohtak

		कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
11.	शहीद महावीर पार्क का fountain काफी समय से खराब है उसे ठीक करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
12.	गीता कॉलोनी की मैन रोड बनवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
<b>वार्ड नं0 18</b>		
1.	पुरानी बस अड्डे के पास जितनी भी डैरियाँ हैं उन सब को कन्हेली रोड पर भेजने की प्रक्रिया तेज की जाए।	इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम द्वारा कन्हेली डेयरी काम्प्लैक्स में विकास कार्य करवाये जा रहे है ताकि डेयरी संचालको को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा डेयरी संचालको को डेयरी शिफ्ट करने बारे अंतिम नोटिस जारी किए जा चुके है। सम्बन्धित को अवगत करवाया जा चुका है कि कार्यवाही न करने पर डेयरी काम्प्लैक्स में डेयरी बनाने हेतु कार्य आरंभ करें अन्यथा निगम द्वारा शहर में चल रही डेयरी को सील किया जायेगा व डेयरी काम्प्लैक्स में अलॉट किए गए प्लॉट की अलॉटमेंट को भी रद्द किया जायेगा। (कार्रवाई संबंधित भू-अधिकारी व मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
2.	पुराने शुगर मिल की जगह पर बहुत ज्यादा संख्या में झुगियाँ बनी हुई है। इस वजह से न्यू जनता कॉलोनी के लोग परेशान हैं इनको वहां से उठाया जाए।	इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि इस संदर्भ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक द्वारा कार्यवाही की

		जा रही है। (सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
3.	पूरे वार्ड नंबर 18 में सीवर व्यवस्था खराब है, सीवर ओवरफ्लो से पब्लिक परेशान है, सभी सीवरों की सफाई करवाई जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
4.	भिवानी चुंगी के पास शिव नगर, राजेंद्र कॉलोनी, न्यू राजेंद्र कॉलोनी में कोई भी पार्क, धर्मशाला व मंदिर नहीं है। इन कॉलोनीयों का सर्वे करवाकर उचित कार्रवाई की जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)
5.	अलकनंदा कॉलोनी, न्यू राजेंद्र कॉलोनी, राजेंद्र कॉलोनी व जनता कॉलोनी के कुछ हिस्से में पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वहां की पानी की समस्या का समाधान करवाया जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
6.	पालिका कॉलोनी में एक पानी का बूस्टर है, वह पूरा बना हुआ है। उसकी सफाई करवा कर उसको चालू करवाया जाए। इससे आसपास की कॉलोनी की पीने के पानी की समस्या खत्म हो जाएगी।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
7.	शिव नगर गली नंबर 1 से भिवानी चुंगी की तरफ आगे पुल तक मैन सीवर लाइन में एक मोटी केबल है, उसको निकलवाया जाए।	इस बारे सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान जल्द से जल्द करें।

**Ramavtar Valmiki**  
Mayor, Rohtak

		(कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
<b>वार्ड नं0 19</b>		
1.	वार्ड नंबर 19 में गांठ मंडी में कई गलियों में सड़कों की हालत बड़ी खस्ता हो चुकी है इसमें लगभग 3000 स्क्वायर मीटर सड़कों को बनाने की आवश्यकता है।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)
2.	वार्ड नंबर 19 में लगभग 1500 से 2000 मीटर पानी और सीवर की पाइपलाइन डालने की आवश्यकता है।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
3.	काठमंडी फ्लाईओवर के नीचे बड़े नाले की सफाई करवाई जाए।	इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम द्वारा नालो की सफाई के लिए निविदा की जा रही है तथा जल्द ही नालो की सफाई का कार्य करवा दिया जायेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)
4.	वार्ड नंबर 19 में स्थित पार्कों का सौंदर्य कारण वह साफ सफाई करवाई जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम द्वारा नालो की सफाई के लिए निविदा की जा रही है तथा जल्द ही नालो की सफाई का कार्य करवा दिया जायेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)
<b>वार्ड नं0 20</b>		
1.	शहर के सभी पार्कों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये।

  
**Ramavtar Valmiki**  
 Mayor, Rohtak

		(कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
2.	पहरावर नगर निगम रोहतक गौशाला में कम जगह में ज्यादा गाय हो गई है। नगर निगम की जमीन पर एक और बड़ी गौशाला बनवाई जाए।	इस बारे में सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम द्वारा बेसहारा पशुओं को छोड़ने के लिए अखिल भारतीय गौशाला पहरावर से अनुबंध किया जा चुका है तथा वहां पर पशुओं को छोड़ा जा रहा है। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
3.	कणहेली गांव स्थित एचएसवीपी की 25 एकड़ पार्क के लिए रिजर्व जमीन पर नगर निगम द्वारा संविधान पार्क बनवाया जाए।	इस बारे में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
4.	कणहेली से पहरावर मार्ग संकरा है। गांव में ज्यादा आवागमन इसी रास्ते पर रहता है। इस मार्ग को टाइल ब्लॉक लगाकर चौड़ा किया जाए।	इस बारे में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
5.	गांव पहरावर के दक्षिण स्थित बायपास चौक सबसे बड़ा "एक्सीडेंट प्रोन जॉन" बन गया है। यहां नगर निगम द्वारा गोल चक्कर विकसित किया जाए ताकि आने जाने वालों की जान-माल की हानी न हो सके।	इस बारे में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
6.	सुनारिया चौक के पास HSVP की जमीन पर बसी झुगियों झोपड़ियों को यहां से हटा कर इन्हें कहीं अन्य स्थाई स्थान दिया जाए।	इस बारे में सदन को अवगत करवाया गया कि इस संदर्भ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक द्वारा कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम द्वारा इस प्रकार से जगह देने का कोई प्रावधान नहीं है। (सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक)

Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

7.	झंजर चुंगी से रुपया चौक तक का सौंदर्य करण किया जाए।	द्वारा कार्रवाई की जानी है।) इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मौका निरीक्षण कर नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग) रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
8.	वार्ड 20 की पानी और सीवर की पुरानी जर्जर लाइन बदली जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
9.	वार्ड नंबर 20 में स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवश्यकतानुसार तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)
10.	वार्ड नंबर 20 में बैंच रखवाए जाएं।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी वार्डों में बैंच उपलब्ध करवाने के लिए जल्द से जल्द निविदा आमंत्रित कर नियमानुसार कार्यवाही की जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)
11.	वार्ड नंबर 20 में पैच वर्क का कार्य अधूरा है उसे पूरा करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मौका निरीक्षण कर जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करवाया जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)
12.	वार्ड नंबर 20 में बरसाती जीटी का कार्य अधूरा है उसे पूरा करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मौका निरीक्षण कर जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करवाया जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)
13.	वार्ड नंबर 20 में गलियों का निर्माण करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये।

  
Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

14.	कमला नगर में हवा सिंह अहलावत के घर से सुरेश हुड्डा के घर तक गली का निर्माण करवाया जाए।	(कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है) इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
15.	कमला नगर में नरेश कुमार सीमेंट वाले से अनिल पुत्र श्री सिंह राम तक गली का निर्माण करवाया जाए	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
16.	कमला नगर में सत्य प्रकाश अहलावत से ईश्वर गांधरा तक गली का निर्माण करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
17.	विजय नगर बैग वाली गली, लाइफ केयर हॉस्पिटल से अर्जुन दत्त के मकान तक गली का निर्माण करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
<b>वार्ड नं० 21</b>		
1.	पहली मीटिंग में पहरावर गाँव में जो शमशान घाट को हटाने का प्रस्ताव रखा था और मीटिंग में पास हुआ था उसको जल्दी से जल्दी हटवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर नियमानुसार आगामी

  
Ramaytar Valmiki  
Mayor, Rohtak

		कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
2.	शीतल नगर गली नंबर 05 में सीवर और पानी की पाइप लगाई जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
3.	पहरावर और कन्हेली गावों के नालों को दोबारा बनाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
4.	पहरावर गाँव के सीवरों की निकासी की जाए, वहाँ पर कभी भी हादसा हो सकता है।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
5.	मेरे वार्ड नंबर 21 में कोई भी टॉइलेट नहीं है कृपया कर के कन्हेली रोड पर अंबेडकर गली नंबर 01 के सामने टॉइलेट बनाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
6.	हमारी चार कॉलोनी के लिए एक पार्क की सुविधा की जाए। एकता कालोनी, राजीव कालोनी, ग्रीन पार्क और अंबेडकर कालोनी।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये।

  
Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

		(कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
7.	एकता कालोनी में पीर बाबा के पास 6-7 गली में पानी की पाइप लाइन नहीं है।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
8.	एकता कालोनी में दलाल सोप के पास 4-5 गली में सीवर और पानी की पाइप लाइन नहीं है।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
9.	राजीव नगर में 03 गलियों में सीवर व पानी के पाइप नहीं है।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
10.	ग्रीन पार्क कॉलोनी में संतोष हुड्डा वाली गली में पानी व सीवर की पाइप लाइन बिछाई जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
11.	अंबेडकर कालोनी गली नंबर 01 की सड़क बनाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
12.	कन्हेली रोड, खोखे के पास 2 गलियों में सीवर, पानी की लाइन और नाले बनाए जाएं।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित

  
Ramaytar Vajmiki  
Mayor, Rohtak

		<p>वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p>
13.	शीतल नगर गुर्जर मोहल्ले की गली नंबर 02 में सीवर, पानी की लाइन बिछाई जाए।	<p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p>
14.	शीतल नगर में पार्क बनाया जाए।	<p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)</p>
15.	शीतल नगर M.K.N स्कूल के पास 03 गलियाँ बनाई जाए।	<p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)</p>
16.	ग्रीन पार्क में सामुदायिक भवन के पीछे वाली गली बनवाई जाए।	<p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है।)</p>
वार्ड नं0 22		
1.	सुनारिया खुर्द गांव में शहर की तर्ज पर एक आधुनिक कम्युनिटी सेंटर बनवाया जाए।	<p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के</p>

  
**Ramavtar Valmiki**  
 Mayor, Rohtak

		कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
2.	श्री राम नगर, शेर विहार, सुनारिया कला, सुनारिया खुर्द की गलियों के निर्माण बारे।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
3.	मिरासी समाज की चौपाल का निर्माण व जमुआ मिर की मूर्ति स्थापना करवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
4.	सुनारिया गांव में 08 चौपालों की मरम्मत करवाई जाए व एक नई चौपाल का निर्माण करवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
5.	सुनारिया कला गांव में लगभग ढाई एकड़ जमीन खाली है। जिस पर नए पार्क का निर्माण कराया जाए और उसमें जिम व व्यायाम हेतु मशीनों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा

Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

		feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
6.	हरिजन बस्ती को अप्रूव्ड किया जाए तथा विकास कार्य करवाए जाए।	इस बारे सदन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम क्षेत्र में अनाधिकृत क्षेत्र/पैच को नियमानुसार नियमित करवाने के लिए सरकार से पत्राचार किया जाये। (कार्रवाई सहायक नगर योजनाकार, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
<b>मनोनीत पार्षद श्री अशोक कुमार वर्मा -</b>		
1.	रोहतक शहर में स्वर्णकार समाज की कोई भी धर्मशाला ना होने के कारण धर्मशाला के लिए कोई जगह देने बारे।	सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया व इस बारे अध्यक्ष महोदय द्वारा हुए नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। (कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
2.	अमृत कॉलोनी में एक गली का टेंडर हो चुका है परंतु उसमें पहले पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए पाइप मुहैया करवाने बारे।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
<b>मनोनीत पार्षद श्री रमेश जोहर -</b>		
1.	गांव बोहर में सैन समाज ( नाई ) की चौपाल से लगता हुआ पुराना पटवार खाना सैन समाज ( नाई ) की चौपाल में मिलाया जाए ताकि गरीब समाज व 36 बिरादरी उसमें विवाह व अन्य सामाजिक कार्य कर सकें।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर मलकियत चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में जाये। (भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
2.	गांव में रोहतक - सोनीपत रोड का डिवाइडर ठीक करवाया जाए और उस पर गांव में ग्रिल लगाई जाए	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मौका निरीक्षण कर नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग)


  
Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

		रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
3.	गांव बोहर, सोनीपत रोड के नाले को दोबारा ठीक लेवल से बनवाया जाए ताकि पानी रोड पर ना खड़ा हो। जिससे आने-जाने वालों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
4.	वार्ड नंबर के अंतर्गत आने वाला गांव 10गढ़ी बोहर में-उस गांव का कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ है ,उसके दोनों दिशाओं में साइन बोर्ड लगवाए जाए।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
5.	वार्ड नंबर 10 के अंतर्गत आने वाला गांव गढ़ी-बोहर में उस गांव का कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ है, उसके दोनों दिशाओं में साइन बोर्ड लगवाए जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
6.	सेक्टर-4 में मकान नंबर-485 के सामने शिव मंदिर के पास लगभग 25 सालों से पार्क के नाम पर जमीन पड़ी है, जिसमें आज तक पार्क नहीं बना है। उस पर पार्क बनवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
7.	नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अत्यंत गरीब परिवारों को चिन्हित कर, उन्हें निगम की जमीन से प्लॉट दिए जाएं।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकार की नीति अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाये। (कार्रवाई संबंधित भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
8.	नगर निगम में आने वाले सभी गांव में कैमरे लगवाए जाएं।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर

  
Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

		निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
9.	सेक्टर - 3-4 की पुलिया से बोहर नहर तक और बोहर नहर से लेकर भाजपा कार्यालय से होते हुए वीटा चौक तक ग्रीन बेल्ट बनवाई जाए और उसमें पेड़ पौधे लगवाए जाएं।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
10.	रोड पर जो लावारिस गौ माता है उन्हें गौशाला में छोड़ जाए या उनके गले में चमकीली पट्टी लगाया जाए ताकि रोड पर कोई दुर्घटना ना हो।	इस बारे महापौर महोदय ने मुख्य सफाई निरीक्षक को निर्देश दिए गए कि शहर से बेसहारा पशु पकड़ने के अभियान में तेजी लाई जाये व सम्बन्धित वार्ड सदस्य को भी पशुओं को पकड़ने की जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी। (कार्रवाई मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
11.	सर्दी में धुंध के कारण कोई दुर्घटना ना हो, शहर में रोड पर सफेद व पीली पट्टी लगाई जाए।	अध्यक्ष महोदय ने इस बारे निर्देश दिए गए कि धुंध का समय चल रहा है इसलिए इस कार्य को गंभीरता से लेते हुए मुख्य गगों पर सफेद व पीली पट्टी लगवाई जाये ताकि कोई दुर्घटना न हो। (सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम रोहतक व कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग) रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
मनोनीत पार्षद श्री मति अनीता गर्ग -		
1.	जनता कोलोनी स्थित, परमार्थ हॉस्पिटल रोड पर सरकारी प्राइमरी स्कूल है जिसकी बिल्डिंग जर्जर एवं खस्ता हालात में है। विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत कम है। नर्सरी से पाँचवी तक लगभग 100 बच्चे	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा

	तथा आठवीं तक लगभग 70 बच्चे है। इन बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करके यहाँ कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए क्योंकि पूरी जनता कॉलोनी में व आस-पास में कोई भी कोमुनिटी सेंटर नहीं है।	feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
2.	काठमण्डी पुल से पीपल वाली गली, वैश्य कॉलेज रोड पर शमशान घाट तक व इससे आगे कच्चा बेरी रोड तक पोल लगाकर स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। जब तक स्ट्रीट लाइट नहीं लगती तब तक वैकल्पिक लाइट लगाने की व्यवस्था की जाए क्योंकि रेलवे का पुराना पुल बंद हो गया है और वैश्य कॉलेज गेट के सामने रेलवे का नया पैदल पुल शुरू होने से लोगों का आवागमन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और रात्रि के समय रोड पर अंधेरा रहता है।	इस बारे में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
3.	हुडा कॉम्प्लेक्स में संघ कार्यालय के पास पब्लिक टॉइलेट बनाया जाए यहाँ पर कोई भी पब्लिक टॉइलेट नहीं है और पूरा कमर्शियल एरिया है।	इस बारे में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)

  
Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

**टेबल एजेन्डा:-**

क्रम संख्या	एजेन्डा	निर्णय
	गांव बोहर में पार्क, आडिटोरियम, सैक्टर-02 सामूदायिक केन्द्र, मानसरोवर पार्क स्थित लाईब्रेरी व जाट भवन से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय रोहतक तक की सड़क का नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने बारे।	सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
1.	राजपूत महासभा, रोहतक ने निवेदन किया है कि सर्व समाज की मांग को ध्यान में रखते हुए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा लगाने के लिए रोहतक शहर में मानसरोवर पार्क, देवीलाल पार्क या कोई अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थान उपलब्ध करवा कर वहाँ की प्रतिमा स्थापित कराई जाए।	सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया व इस बारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा हुए नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। (कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
2.	Headquarter Haryana Ex-Services League, Rohtak ने निवेदन किया है कि 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में शांतमई चौक पर एक विजय द्वार का निर्माण किया	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक

	गया था जिसे बाद में हटा दिया गया था परंतु किसी अन्य स्थान पर इसका पुनर्निर्माण नहीं किया गया है। सभी पूर्व सैनिकों ने अनुरोध किया है कि किसी अन्य स्थान पर विजय द्वार के पुनर्निर्माण के लिए कार्यवाही अम्ल में लाई जाए।	द्वारा की जानी हैं)
3.	श्री अवनीश कुमार सैनी, प्रधान, सैनी एजुकेशन सोसाइटी, रोहतक ने निवेदन किया है कि रोहतक शहर के मुख्य मार्ग पर शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले एवं शिक्षा की देवी माता सावित्री बाई फुले के नाम से एक स्मृति द्वार बनाया जाए।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
4.	श्री हरदयाल पुत्र भुरु राम और श्री गुलाब पुत्र श्री हरी सिंह निवासी सल्लारा मोहल्ला ने निवेदन किया है कि उनकी एक जमीन बोहर गाँव के समीप है जो नगर निगम रोहतक की सीमा में पड़ती है जिसकी रजिस्ट्री न० 5227 और किला न० - 280//16 है। वह अपनी भूमि में से रजिस्ट्री के माध्यम से 95-95 वर्ग गज नगर निगम रोहतक के नाम गिफ्ट डीड कराना चाहते हैं।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
5.	श्री राजेन्द्र कुमार निवासी सनसिटी, सेक्टर - 35 द्वारा मेडिकल मोड के पास बने सरकारी पार्क में पानी के निःशुल्क प्याऊ बनवाने हेतु जगह देने का निवेदन किया है। इस प्याऊ को बनवाने व रख-रखाव का पूरा खर्च प्रार्थी द्वारा वहन किया जाएगा।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
6.	दिनांक - 24/08/2023 को नगर निगम रोहतक के सदन की बैठक में एजेंडा बिन्दु न० 12 के अनुसार 1947 के विभाजन की त्रासदी में विस्थापित समाज (पंजाबियों) को रोहतक शहर में एक सामाजिक धर्मशाला, भवन हेतु जगह देने बारे सदन द्वारा सर्वसम्मति से पुरानी ITI Ground में 2000 वर्ग गज जमीन देने बारे नियमानुसार केस तैयार कर के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को भेजने बारे प्रस्ताव पारित किया गया था। इस विषय पर भू - अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी थी।	सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया व इस बारे अध्यक्ष महोदय द्वारा हुए नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। (कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
7.	सदानाथ छात्रावास, पाडा मोहल्ला का कार्य अधूरा पड़ा है उसे पूरा करवाना है।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
8.	वार्ड 3 के अंतर्गत पुरानी सब्जी मंडी, वाल्मीकि मंदिर में खाली जगह है जिसपर हॉल का निर्माण हो चुका है। उस हॉल में एक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करवाया जाए।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
9.	वार्ड 1 श्याम कालोनी की मुख्य प्रवेश गली में बनी फैक्ट्रियों के कारण आमजन को आने वाली दैनिक समस्याओं के बारे में। श्री अक्षय कुमार, सदस्य वार्ड नं० 01 ने सदन को अवगत करवाया है कि श्याम कालोनी, वार्ड 1, नगर निगम रोहतक की प्रमुख प्रवेश गली में लगातार बढ़ रही फैक्ट्रियों की संख्या के कारण आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सभी फैक्ट्रियां रिहायशी	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण करते हुए feasibility चैक करने उपरांत हाईट बैरियर लगवाना तथा नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाना सुनिश्चित करेंगे तथा इसके अतिरिक्त फैक्टरी मालिकों को इस बारे नोटिस देना सुनिश्चित करेंगे।

	<p>क्षेत्र की मुख्य गली में बनी हुई हैं। इनके कारण गली में सामान उतारने व चढ़ाने के लिए भारी वाहन खड़े रहते हैं। आम व्यक्ति या कालोनी सदस्य जिसमें महिलाएं व बच्चे भी हैं उन्हें इनके कारण आने जाने में काफी दिक्कत आती है। कई बार वाहन रास्ते में खड़ा होने के कारण स्कूल बस बच्चों को लेने या छोड़ने के लिए घर तक नहीं पहुंच पाती और बच्चों को आने या जाने में देरी हो जाती है। रास्ता देने को कहने पर वाहन चालक अकड़ कर बात करते हैं और कई बार विवाद गली गलीच अथवा झगड़े तक पहुंच जाता है। इस तरह की समस्याओं के चलते कालोनी वासियों को अनेक समस्याएं आ रही हैं। अतः उक्त समस्याओं का समाधान करने का कष्ट करें।</p>
<p>10. गांव बोहर में स्थित यज्ञशाला के सौन्दर्यकरण हेतु। श्रीमती मनीषा, सदस्य वार्ड नं0 10, नगर निगम, रोहतक ने उनके गांव बोहर में स्थित यज्ञशाला में शैड, व्यायामशाला तथा प्रवेश मार्ग को चौड़ा करवाने बारे अनुरोध किया। सदन में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।</p>	<p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)</p>
<p>11. वार्ड नं0 10 में नान्दल भवन के पास नाले के निर्माण बारे। श्रीमती मनीषा, सदस्य वार्ड नं0 10, नगर निगम, रोहतक ने अवगत करवाया कि उनके गांव बोहर में नान्दल भवन के साथ वाले मार्ग पर गन्दे पानी की निकासी के लिए नाले की व्यवस्था नहीं है जिससे कारण गली में जलभराव की समस्या रहती है तथा पानी तलाब में चला जाता है और पानी को दूषित करता है। दूषित पानी के कारण जन साधारण तथा पशुओं में बीमारी फैलने की संभावना रहती है। अतः वहां पर 150 मीटर नाले का निर्माण करने बारे सदन में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।</p>	<p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)</p>
<p>12. गांव बोहर में रास्ते को चौड़ा करवाने बारे। श्रीमती मनीषा, सदस्य वार्ड नं0 10, नगर निगम, रोहतक ने अवगत करवाया कि उनके गांव बोहर में प्रवेश मार्ग केवल 11 फुट चौड़ा है जिसके कारण आमजन को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। यह रास्ता लगभग 200 मीटर की लंबाई में 11 फुट चौड़ा है तथा शेष 200 मीटर में इसकी चौड़ाई 33 फुट है। इसके साथ लगती जमीन हरियाणा सरकार द्वारा अधिकृत है। अतः गांव बोहर से स्टेडियम की तरफ जाने वाले रास्ते को 33 फुट चौड़ा किया जाये। सदन में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।</p>	<p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)</p>
<p>13. वार्ड 10 के गांव बोहर में तालाब के सौन्दर्यकरण करवाने बारे।</p>	<p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के</p>

	श्रीमती मनीषा, सदस्य वार्ड नं0 10, नगर निगम, रोहतक ने अवगत करवाया कि उनके गांव बोहर में तालाब में आस पास के घरों का गंदा पानी मिलने के कारण बहुत ज्यादा खराब पानी है जिसके कारण पशुओं में विमारियां फैल रही है। इस तालाब के चारों तरफ दीवार नहीं है जिसके कारण पहले भी कार दुर्घटना हो चुकी है। अतः उक्त तालाब के सौन्दर्यकरण करवाने की स्वीकृति हेतु सदन में प्रस्तुत है।	कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चेक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
14.	वार्ड 10 के गांव बोहर व गढी बोहर में पीने का पानी गन्दा आता है अतः शीघ्र पानी की समस्या का समाधान किया जाये।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
15.	गढी बोहर कि पार्क का कार्य कई माह से काफी धीरे चल रहा है उक्त कार्य में तेजी लाई जाये।	इस बारे अध्यक्ष महोदय निर्देश दिए गए कि कार्य में तेजी लाई जाये व कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण करवाया जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
16.	गढी बोहर हेल्थ सेंटर का कार्य लम्बित है उक्त कार्य में तेजी लाई जाये।	इस बारे अध्यक्ष महोदय ने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
17.	स्वामित्व कार्ड का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है जिससे लोगो को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।	इस बारे आयुक्त महोदय ने सदन को अवगत करवाया गया कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है तथा सरकार के निर्णय अनुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी। (कार्रवाई उप निगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
18.	प्रजापत चौपाल की जगह फाईनल हो चुकी है इसका निर्माण जल्दी करवाया जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चेक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
19.	बोहर गांव में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण करवाया जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा

  
Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

		feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
20.	नान्दल भवन के पास घरो व डेयरियों का गन्दा पानी नाला ना होने की वजह से जोहड में जाता है। अतः इसके लिए नाला बनवाया जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
21.	सोनीपट्ट रोड के नाले व रोड का काम जल्दी करवाया जाये।	इस बारे आयुक्त महोदय ने सदन को अवगत करवाया गया कि नाले की सफाई का कार्य करवाया जा रहा है तथा संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए जा चुके हैं कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
22.	नालो के उपर ढक्कन लगवाये जाये नालो में भैस व गाय गिर जाती है।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
23.	अमृत कालोनी गली नं0 10 दुर्गा टैन्ट हाउस के पास टूटी हुई उसका निर्माण करवाया जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
24.	सुनारियां कला के जोहड के सौन्दर्यकरण का दौबारा टैण्डर लगाया जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा

Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

		feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
25.	श्री विजेन्द्र सिंह, सदस्य वार्ड नं0-21, नगर निगम, रोहतक के कन्हेली गांव के लिए जलघर में पानी का ट्यूबवैल लगाया जाये।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
26.	वार्ड नं0-21के गांव पहरावर के पीछे SC चौपाल कालोनी है उस बस्ती के लिए गांव में जगह दी जाये।	इस बारे अध्यक्ष महोदय ने भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक को नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाने बारे निर्देश दिए गए। (कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
27.	एकता कालोनी में 25 मस्तल से लेकर 38 मस्तल तक पूरी बस्ती हो चुकी है व सभी टैक्स इत्यादि भरते है Approved किया जाये व मूलभूत सुविधाएं दी जाये।	इस बारे सदन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम क्षेत्र में अनाधिकृत क्षेत्र/पैच को नियमानुसार नियमित करवाने के लिए सरकार से पत्राचार किया जाये। (कार्रवाई सहायक नगर योजनाकार, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
28.	सेक्टर 14 की आंगनवाड़ी है। वह काफी जर्जर हालत में है। यह कभी भी गिर सकती है इसे नई बनवाई जाए।	इस बारे अध्यक्ष महोदय ने बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, रोहतक से पत्राचार करने के निर्देश दिए गए। (कार्रवाई कार्यालय अधीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
29.	सेक्टर 14 की आंगनवाड़ी में लाइट नहीं है। इससे अंधेरा रहता है इसमें लाइट की व्यवस्था करवाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा मौका निरीक्षण कर नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
30.	सेक्टर 14 के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए जो मिड-डे-मील का राशन आता है, इस राशन की चूहे और काकरोच खाते रहते हैं, जिससे बच्चों में बीमारियाँ फैलने का डर रहता है। इस राशन को रखवाने की उचित व्यवस्था करवाई जाए।	इस बारे अध्यक्ष महोदय ने जिला शिक्षा अधिकारी से पत्राचार कर अविलम्ब समस्या का समाधान करवाने के निर्देश दिए गए।

Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

		(कार्रवाई कार्यालय अधीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
31.	सेक्टर 14 में 1 महीने से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया है। जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। इस गंदगी को उठवाने की व्यवस्था की जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय ने सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम द्वारा रोड स्वीपिंग की निविदा की जा चुकी है तथा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा स्वीपिंग के कार्य की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जिससे निगम क्षेत्र में लगभग 350 कर्मचारी लगेंगे व सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी। इस कार्य को लगभग 10 जनवरी 2026 तक आरंभ कर दिया जायेगा (कार्रवाई मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
32.	छोटूराम स्टेडियम के पास दिल्ली रोड पर फलाईओवर के साथ बस क्यू शैल्टर बनवाया जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
33.	देव कालोनी में गली नं0 1 और गली नं0 2 में बरसाती पानी की नई पाईप लाईन डलवाई जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
34.	लाल कूप से पावर हाउस तक सीवर की लाइन बंद पड़ी हुई है। तिलक नगर, कमल कालोनी के सीवर बंद पड़े हुए हैं, जिससे गलियों में सीवर का पानी खड़ा रहता है। इसका समाधान किया जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक

  
Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

		द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
35.	शीला बाईपास से दिल्ली बाईपास और शीला बाईपास ताउनगर तक नाले का बिल पास हो गया है नाला बिल्कुल बन्द पडा हुआ है। आज तक इस नाले का कोई सफाई का कार्य नहीं हुआ है। कृप्या करके नाले की सफाई करवाई जाये।	इस बारे आयुक्त महोदय ने सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम द्वारा मुख्य नालो की सफाई कार्य की निविदा की जा रही है जिसके पश्चात नाला सफाई का कार्य करवा दिया जायेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
36.	रामगोपाल कालोनी में गली में गली नं0 और मकान नं.गलत तरीके से लिखे हुए है। बाहर से आने वाले लोग और डाक द्वारा आने वाले पत्र सही पते पर नहीं पहुंच पाते कृप्या करके मकान नं0 और गली नं0 सही तरीके से लिखे जाये।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि यह प्रक्रिया अन्य वार्डों में भी अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
37.	वार्ड नं0 13 में रामगोपाल कालोनी के बीच मैन गली से साथ एक 90 फीट की बन्द गली है जिसमें गली बनाने के समय सीवर की लाईन नहीं डाली गई थी जिसमें तीन चार मकान बने हुए है उनको बडी कठिनाई पैदा हो रही है। उस गली में सीवर की सख्त जरूरत है। अतः उपरोक्त गली में सीवर की लाईन बनवाने की कृपा करें।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
38.	श्रीमती सुमन, सदस्य वार्ड नं0-22, नगर निगम, रोहतक ने अवगत करवाया है कि उनके वार्ड में डिग्गी के तालाब बहुत खराब पड़े है उनकी सफाई करवाई जाये। डिग्गी से लेकर नहर तक पत्थर के पाईप है उनको बदलकर लोहे के पाईप लगाए जाये।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
39.	मनोहरलाल साकला भाट, प्रदेशाध्यक्ष भाट समाज सेवा समिति (रजि.) हरियाणा ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से भाट जाति को पीडब्ल्यूडी या निगम की कोई भी जमीन हो गोहाना रोड नजदीक टी0बी0 हास्पिटल रोहतक शहर में खाली पड़ी जगह को भाट जाति को धर्मशाला हेतु दिये जाने बारे अनुरोध किया है। सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया व इस बारे अध्यक्ष महोदय द्वारा हुए नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। (कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)
40.	विषय:- वार्ड नंबर 3 पुरानी सब्जी मंडी दरवाजा मोहल्ला में खाली पड़ी आबादी देह शामिलता	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के

Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

**4129 वर्ग गज पर वाल्मीकि भवन बनवाने बारे।**

हरियाणा वाल्मीकि महासभा रजि. जिला कार्यकारिणी रोहतक ने प्रार्थनापत्र के माध्यम से अनुरोध किया हैकि उपरोक्त विषय के संदर्भ में निवेदन यह है कि हम आपके जिला नगर निगम रोहतक की 40 हजार आबादी के 36 बिरादरी के स्थाई निवासी चारों तरफ स्थाई निवासी हैं। और 60 वर्षों से यह क्षेत्र अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा एवं स्लम एरिया घोषित है। जिसके बारे वर्ष 2001 से लेकर आज 2025 तक हरियाणा वाल्मीकि महासभा रजि. 25 जिला कार्यकारिणी एवं अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग लगातार हरियाणा सरकार व जिला प्रशासनिक नगर निगम रोहतक से लिखित व मौखिक मांग उठाता रहा है कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के आमजन की बस्तियों में इलाके की तंग गलियां होने की वजह से अपनी बहन बेटियों की शादियां करने पर बड़ी दिक्कतों का सामना करते आ रहे हैं। और हर वर्ग अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस करते रहते हैं। कई बार प्रौतिक आंधी तूफान होने की वजह से सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। इसके बारे में लगातार नगर निगम रोहतक आयुक्त, उपायुक्त को लिखित में सारी स्थिति से अवगत करवाते रहे हैं और जिला प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया जाता रहा कि आप द्वारा प्रस्ताव पारित कर नगर निगम रोहतक की हाउस की बैठकों में सर्व समिति से प्रस्ताव पास किया गया है कि सर्व समिति से स्वीकार है। और नगर निगम रोहतक की कार्यवाही भू अधिकारी द्वारा की जानी है। जिसकी प्रमाणित प्रतियां भी साथ संलग्न हैं।

उपरोक्त वार्ड नंबर 3 में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की सैकड़ों कालोनी वासियों की हरियाणा सरकार व नगर निगम रोहतक प्रशासनिक अधिकारियों से पुरजोर अपील व मांग है कि उपरोक्त जमीन पर एक आधुनिक सामुदायिक भवन का निर्माण करवा कर 25 वर्षों से चली आ रही अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग स्लम एरिया के वर्गों की मांग को नगर निगम हाउस की बैठक में प्रस्ताव पारित करवा कर एक भव्य आधुनिक सामुदायिक भवन का निर्माण करवा कर लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करवाने में हमारी मदद करें। इस उपकार के लिए जिला रोहतक नगर निगम वार्ड नं. 3 की सैकड़ों कालोनीवासी सदैव आपके ऋणी रहेंगे।

नोट - वार्ड नंबर 3 की सैकड़ों कालोनी निम्नलिखित हैं:

पुरानी सब्जी मंडी दरवाजा मोहल्ला वाल्मीकि बस्ती

पुरानी सब्जी मंडी बावरा मोहल्ला हरियाणा गेट

पुरानी सब्जी मंडी रहवारिया मोहल्ला

सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये।


(कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)

  
**Ramavtar Valmiki**  
Mayor, Rohtak

<p>41.</p>	<p>ग्रुप-D कर्मचारियों हेतु 100-100 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट आवंटन का एजेंडा अनुमोदित कराने के संबंध में।</p> <p>श्री शंभू टांक प्रधान, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ईकाई रोहक ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि रोहतक नगर निगम में कार्यरत ग्रुप-D श्रेणी के कर्मचारी अपने सीमित वेतनमान एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास व्यवस्था करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अधिकांश कर्मचारी वर्तमान में अत्यंत संकुचित एवं असुविधाजनक किराये के मकानों में रहने को विवश हैं, जिससे उनके परिवारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।</p> <p>अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि नगर निगम ग्रुप-D कर्मचारियों के लिए 100-100 वर्ग गज आकार के आवासीय प्लॉट आवंटित करने का प्रस्ताव आगामी निगम बैठक में एजेंडा के रूप में सम्मिलित किया जाए।</p> <p>कर्मचारियों की सेवा-स्थिति, सिवर, सफाई, फील्ड ड्यूटी की संवेदनशील प्रकृति तथा उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर को ध्यान में रखते हुए इस योजना को प्राथमिकता प्रदान की जाए। आवश्यकता अनुसार निगम की उपलब्ध भूमि अथवा किसी उपयुक्त परियोजना के अंतर्गत प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। हमें विश्वास है कि नगर निगम अपने कर्मचारियों के कल्याण हेतु इस महत्वपूर्ण एवं जनहितकारी प्रस्ताव को पारित कर, उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगा।</p> <p>सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है।</p>	<p>सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया व इस बारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा हुए नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। (कार्रवाई मू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)</p>
<p>42.</p>	<p>श्रीमती अनीता गर्ग, मनोनीत सदस्य, नगर निगम रोहतक के माध्यम से महाराजा अग्रसेन सेवा सदन ट्रस्ट का अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें अनुरोध किया गया है कि कि रूपया चौक के समीप स्थित महाराजा अग्रसेन नगर में महाराजा अग्रसेन भवन (धर्मशाला) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस भवन के माध्यम से समाज के जरूरतमंद एवं सभी वर्गों को विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का लाभ प्राप्त होगा। नगर की पहचान एवं सौंदर्यीकरण की दृष्टि से महाराजा अग्रसेन नगर के बाहर महाराजा अग्रसेन द्वार का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस द्वार पर नगर निगम रोहतक की प्रमुख उपलब्धियां अंकित की जाएगी तथा रोहतक शहर के दिशा-निर्देश (Directional Signage) भी दर्शाए जाएंगे। जिससे आम नागरिकों एवं आगतुकों को सुविधा प्राप्त होगी।</p> <p>अतः नगर निगम रोहतक द्वारा महाराजा अग्रसेन द्वार के निर्माण हेतु एनओसी/अनुमति प्रदान करने एवं आवश्यक सहयोग देने की कृपा करें।</p>	<p>इस बारे में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चेक करने उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)</p>

  
Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है		
43.	नगर निगम, रोहतक को स्वच्छता में अक्वल लाने के लिए सूरत व इंदौर शहर में सफाई कार्य व अन्य परियोजनाओं की जानकारी के लिए नगर निगम रोहतक की टीम का दौरा करवाने बारे।	सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया व इस बारे अध्यक्ष महोदय द्वारा हुए नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। (कार्रवाई कार्यालय अधीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
44.	श्री कपिल नागपाल, सदस्य वार्ड नं0-07, नगर निगम, रोहतक द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि साईदास कालोनी में रोबिन हुड्डा ठेकेदार द्वारा गलियां बनवाने का कार्य किया गया था। जिस संदर्भ में कार्यालय में लिखित में दिया गया था कि उन द्वारा कार्य सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। इसलिए उनकी अदायगी न की जाये, परन्तु उक्त ठेकेदार की अदायगी कर दी गई है।	इस बारे अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि रोबिन हुड्डा ठेकेदार द्वारा करवाये गये कार्यों की जांच की जाये व यदि जांच में खामियां पाई जाती है तो एजेन्सी का कार्य रद्द करके उसे डीबार करने बारे कार्रवाई अमल में लाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
45.	श्री कपिल नागपाल, सदस्य वार्ड नं0-07, नगर निगम, रोहतक द्वारा अवगत करवाया गया कि गोहाना अड्डा पर डिवाइंडर रखे गये है जिनके कारण वहां दुर्घटनाएं हो रही है। अतः गोहाना अड्डा पर रखे गये डिवाइंडरो को हटवाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया व इस बारे अध्यक्ष महोदय द्वारा गोहाना अड्डा पर रखे गये डिवाइंडरो को हटवाने बारे निर्देश दिए गए। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)
46.	वार्ड सदस्यो द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि वार्ड में कोई भी विकास कार्य आरंभ किया जाता है तो संबंधित वार्ड सदस्य को अवगत नहीं करवाया जाता व ठेकेदार/एजेन्सी कार्य पूर्ण करके चले जाते है, जिसके उपरांत आमजन से शिकायत प्राप्त होती है कि कार्य के दौरान ठेकेदार/एजेन्सी ने उनके सीवर व पानी के पाईप तोड़ दिये है व उन्हें रिपेयर नहीं किया गया।	इस बारे अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि कोई भी विभाग किसी वार्ड में विकास कार्य करवाता है तो कार्य आरंभ करने से पूर्व संबंधित वार्ड सदस्य को अवश्य अवगत करवाये तथा किये गये कार्य की वार्ड सदस्य से एन0ओ0सी0 लेना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यदि किसी ठेकेदार/एजेन्सी को किसी वार्ड सदस्य से शिकायत है तो वह महापौर, नगर निगम, रोहतक के संज्ञान में लाये। (कार्रवाई सभी विभागाध्यक्ष, जिला रोहतक द्वारा की जानी हैं)
47.	नगर निगम रोहतक की जमीन पर 20 वर्षों से काबिज है उन्हे ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार स्वामित्व का लाभ दिलवाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया व इस बारे अध्यक्ष महोदय द्वारा सरकार से पत्राचार करने के निर्देश दिए गए। (कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)

  
Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak

बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों एवं अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की।

क्रमांक MCR/Mayor/2026/23-26

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा माननीय सांसद, रोहतक लोकसभा क्षेत्र।
2. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, माननीय विधानसभा सदस्य, गढ़ी सांपला किलोई।
3. श्रीमति शकुन्तला खटक, माननीया विधानसभा सदस्य, कलानौर।
4. श्री भारत भूषण बत्तरा, माननीय विधानसभा सदस्य, रोहतक।

क्रमांक MCR/Mayor/2026/27-36

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को स्वीकृति हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला।
3. आयुक्त, रोहतक मंडल, रोहतक।
4. उपायुक्त, रोहतक।
5. आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।
6. सभी वार्डों के सदस्यगण, नगर निगम, रोहतक।
7. सभी विभागाध्यक्ष, जिला रोहतक।
8. सभी शाखा प्रभारी, नगर निगम, रोहतक।
9. सहायक प्रबंधक, आई.टी.सैल, नगर निगम, रोहतक को नगर निगम, रोहतक की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. रिकार्ड फाईल।

महापौर,

नगर निगम, रोहतक।

दिनांक - 17/01/2026

महापौर,

नगर निगम, रोहतक।

दिनांक 17/01/2026

महापौर,

नगर निगम, रोहतक।

Ramavtar Valmiki  
Mayor, Rohtak